रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1972 (पौष 9, 1894)

No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1972 (PAUSA 9, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1301
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	2069
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	155
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1807
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	—
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1809
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	399
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	227
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1897
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	253
पूरक संख्या 53—	
23 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	2585
2 दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	2599

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1301
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	2069
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	155
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1807
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	—
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1809
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	399
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	227
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1897
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	253
SUPPLEMENT NO. 53	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 23rd December, 1972	2585
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 2nd December, 1972	2599

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 30 दिसम्बर 1972

नियम

म० 4/6/72-अ० भा० मे०-4—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम 1966 के नियम 7(क) में दिये गये उपबन्धों के अनुसरण में निर्मुक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् और 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान किया गया था अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, परन्तु जिन्हें उस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया था, उनके लिये आरक्षित अस्थायी रिक्तियां भरने के प्रयोजन हेतु चयन करने के लिय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित नियम सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं। उपर्युक्त नियम 29 जनवरी, 1974 मे प्रभावी नहीं रहेंगे जब तक कि सरकार द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाए।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस म किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों स अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों आदिम जातियों में से किसी एक से है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग 'ग' के राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (भाग 'ग' के राज्य) आदेश, 1951 जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम-जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-II मे निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित वर्गों के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात परन्तु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान किया गया था अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन पूर्व-प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों परन्तु जिन्हें उस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो, इस परीक्षा में बैठ सकेंगे :—

(i) ऐसे अधिकारी जिन्हें 1971 अथवा 1972 में इस अधिसूचना की तारीख से पहले निर्मुक्त किया गया हो, अथवा उसके उपरांत 1973 के अन्त तक निर्मुक्त होने वाले हों,

(ii) नियम 9 में दी गई सीमा तथा उसके उपबन्धों के अनुसार उस नियम में उल्लिखित अधिकारी।

टिप्पणी 1—इन नियमों के प्रयोजन के लिये 'निर्मुक्त' का अभिप्राय निम्नलिखित है :—

(1) निर्मुक्ति के निर्धारित वर्ष के अनुसार निर्मुक्ति।

(2) सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा उसके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप हुई असमर्थता। जो सशस्त्र सेना से सेवा की अल्पावधि के बाद और न कि प्रशिक्षण के दौरान अथवा अन्त में, अथवा ऐसी अल्पकालीन सेवा कमीशन के दौरान अथवा अन्त में जो वास्तविक सेवा में लिये जाने से पूर्व इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने

लिये प्रदान किया गया है और न ही इसमें इन अधिकारियों के मामले शामिल होंगे जिन्हें सदाचार अथवा अदक्षता के कारण अथवा जिन्हें उनके अपने अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो।

टिप्पणी 2—'निर्मुक्त के निर्धारित वर्ष' अभिव्यक्ति का अर्थ है :—

(1) जहां तक इसका सम्बन्ध आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्व-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन्हें निर्मुक्त होना है, और

(2) जहां तक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके लिय वह वर्ष माना जायगा जिसमें अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में 3 अथवा 5 वर्ष जैसी भी स्थिति हो सामान्य सेवा काल की समाप्ति होनी है।

टिप्पणी 3—यदि किसी व्यक्ति को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाता है, अथवा वह सशस्त्र सेना में इस्तीफा दे देता है या वह उससे सदाचार अथवा अदक्षता या अपने निजी अनुरोध के कारण निर्मुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

टिप्पणी 4—जो इंजीनियर तथा डाक्टर केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में या सरकार के स्वामित्व में चलने वाले औद्योगिक उद्यमों में कार्य करते हैं और जिनको अनिवार्य दायिता योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना में कम-से-कम निर्धारित अवधि के लिये सेवा करनी पड़ती है और

टिप्पणी 5—जो अफसर सशस्त्र सेना की स्वयंसेवक आरक्षी-सेवा (वालंटियर-रिजर्व फोर्सेज) से सम्बद्ध हैं और जिन्हें अस्थायी सेवा पर बुलाया गया हो, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिनको संगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की सेवा अवधि में अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे :—

5-क. उम्मीदवारों को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका (जिसे पहले सिलोन कहा जाता था) और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया (भूतपूर्व टैंगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिये पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि उसकी आयु उस वर्ष पहली जुलाई को जिसमें वह सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो, या (जहां केवल कमीशन परवर्ती-प्रशिक्षण हो) उसने कमीशन प्राप्त किया हो 24 वर्ष नहीं होनी चाहिये।

6-(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष,

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति की हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(5) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका (जिसे पहले सिलोन कहा जाता था) से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर 1964 से भारत-श्रीलंका करार के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(7) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(8) यदि उम्मीदवार केनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(9) यदि उम्मीदवार 1 जून 1963 या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष,

(11) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ युद्ध संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(12) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ युद्ध संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

(13) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो उसके लिये अधिकतम तीन वर्ष तक,

(14) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो, तो उसके लिये अधिकतम आठ वर्ष तक,

(15) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963, 1964 या उसने 1965 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन-परवर्ती प्रशिक्षण था) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निवासी हो तो उसके लिये अधिकतम चार वर्ष तक, और

(16) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा उसने 1963, 1964 या 1965 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और भारतीय नागरिक है और श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से प्रत्यावर्तित हो तो उसके लिये अधिकतम तीन वर्ष तक।

(ग) गोआ, दमन तथा दियू के उन स्वाधीनता सेनानियों, जो गोआ, दमन तथा दियू की सरकार के कर्मचारी नहीं थे और उन्होंने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था और उसके फलस्वरूप भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन कम से कम छः मास तक कारावास अथवा हिरासत में रहे हों परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि 1-1-1972 को उनकी आयु 35 वर्ष की न हुई हो।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 6(ग) के अन्तर्गत आयुसीमा के छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उपर्युक्त नियम 6(ख) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु में छूट का हक नहीं होगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

7. किसी उम्मीदवार को दो से अधिक बार प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह रोक 1968 में हुई परीक्षा में लागू होगी।

8. उम्मीदवार को उसके निर्मुक्त होने के वर्ष में हुई परीक्षा में प्रथम अवसर के रूप में, और निर्मुक्त होने के वर्ष से अगले वर्ष हुई परीक्षा को द्वितीय अवसर के रूप में बैठना होगा।

9. नियम 8 में की गई किसी भी व्यवस्था के बावजूद—

(1) सन् 1971 में निर्मुक्त उम्मीदवार सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है

(II) सन् 1970 की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद सन् 1970 में सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या उसके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप अमान्य ठहराया गया उम्मीदवार सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है।

(III) सन् 1972 की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद सन् 1972 में सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या उसके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप अमान्य ठहराया गया उम्मीदवार सन् 1973 में ली जाने वाली परीक्षा अपने पहले अवसर के रूप में दे सकता है।

(IV) कोई आपातकालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सशस्त्र सेनाओं के कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 10-1-68 से पूर्व शामिल हुआ हो परन्तु उसे 10-1-68 को या उसके बाद कमीशन प्रदान किया गया हो तो वह 1973 में ली जाने वाली परीक्षा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दे सकता है :—

(क) अपने पहले अवसर के रूप में यदि वह 1971 अथवा 72 में निर्मुक्त हुआ हो।

(ख) अपने पहले अवसर के रूप में, यदि 1970 की परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद 1970 में सैनिक सेवा के कारण हुई विकलांगता या उसके गंभीर रूप धारण करने के फलस्वरूप अमान्य ठहराया गया हो।

(ग) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि 1970 में निर्मुक्त हुआ हो।

टिप्पणी 1—उपरोक्त खंड (ii) तथा खण्ड (i) (ख) मे में दिये गये उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1970 में निर्मुक्त होना था।

टिप्पणी 2—उपरोक्त खण्ड (iii) में दिये गये उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1972 में निर्मुक्त होना था।

टिप्पणी 3—ऐसे उम्मीदवार जो इस नियम के उपबन्धों के अनुसार 1974 में अपना दूसरा अवसर पाने के पात्र हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं यदि इन नियमों के नियम 1 में उल्लिखित नियमों के उपबन्धों की अवधि सरकार द्वारा 28 जनवरी, 1974 से आगे बढ़ा दी जाती है।

10. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में किसी एक से प्राप्त वनस्पति-विज्ञान, रसायन-विज्ञान भू-विज्ञान, भौतिकी और जीव-विज्ञान विषयों में से एक विषय के साथ स्नातक उपाधि आवश्यक होनी चाहिये, अथवा कृषि में स्नातक उपाधि या इंजीनियरी की स्नातक उपाधि होनी चाहिये या परिशिष्ट-1 (क) में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिये, बशर्ते कि वह उस परिशिष्ट में निर्धारित शर्त को पूरा करता हो।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामीनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट 2—विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिसके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट 3—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

11. सशस्त्र सेना में सेवा करने वाले उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिये अपना आवेदन-पत्र अपनी यूनिट के कमान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगा। यदि उम्मीदवार स्वयं ही अपनी यूनिट का कमान अधिकारी है तो उसे आवेदन-पत्र अपने अगले उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिये।

सरकारी सेवा में के अन्य सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे स्थायी पद पर हों अथवा अस्थायी पद पर अथवा कार्य प्रभारित कर्मचारी हों नैमित्तिक (केजुअल) अथवा दिहाड़ी वाले कर्मचारियों को छोड़ कर, परीक्षा में बैठने के लिये विभाग के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

12. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट-आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी ठोस तथ्य को छिपाने या परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिये वारित किया जाना :

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से ।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत नौकरी से ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन आनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

16. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक (मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स) प्राप्त कर लेगा जितने, आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग मौखिक परीक्षा (वाइवा वोसी) के लिये बुलाएगा।

17. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणामस्वरूप मौखिक परीक्षा के लिये सफलता प्राप्त करता है तो मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) उससे अलग से कहेगा कि वह अपनी तरजीह का क्रम उन्हें सूचित करे, जिसके अनुसार विभिन्न राज्य संवर्गों में आवंटन के लिये उनके नाम पर विचार किया जाए।

18. परीक्षा, के बाद, आयोग उम्मीदवारों द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी नियुक्ति के लिय सिफारिश की जाएगी।

परन्तु आयोग, जिस सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित स्तर के अनुसार न भरी जा सके उस सीमा तक आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये, स्तर में ढील देते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा, बशर्ते कि वे इस सेवा में नियुक्ति के लिय योग्य हो, भले ही इस परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका स्थान कहीं भी हो।

19. यदि परीक्षा के परिणाम पर, योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या निर्मुक्त आपात कमीशन अफसरों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये प्राप्य नहीं है तो बिना भरे हुए रिक्त स्थानों को सरकार द्वारा इस विषय में निर्धारित ढंग से भरा जाएगा।

20. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिय बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल-सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिये स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिये, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवा(ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

शारीरिक स्वस्थता (मेडिकल-फिटनेस) की इस शर्त की ओर ध्यान विशेष तौर से दिलाया जाता है। जिसके अनुसार चार घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने की परीक्षा ली जाएगी।

23. ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा,

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो इस सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बन्धन से छूट दे सकती है ।

24. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है ।

25. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट–III में दिया गया है ।

एम० आर. भारद्वाज, अवर सचिव

परिशिष्ट 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(नियम 10 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसी विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी हो ।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय

मांडले विश्वविद्यालय

इंग्लैण्ड और वैल्स विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वैल्स के विश्व-विद्यालय ।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबर डीन, एडिनबरी, ग्लास्गो और सैंट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय

आयर लैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)

नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैंड

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बैलफास्ट

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनुमोदित योग्यताओं की सूची ।

(नियम 10 के अनुसार)

*1. फ्रांसीसी परीक्षा ।

2. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

*3. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

*4. अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्य क्रम" यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टुडैन्ट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

*5. भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलौर की सहवृत्ति या शिक्षा-वृत्ति ।

6. वरिष्ठ सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तक-नीकी शिक्षा परिषद् (आल इंडिया कौंसिल फार टक्निकल एज्यूकेशन) से इंजीनियरी या तकनीकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।

7. इंजीनियरों की संस्था (इंडिया) की सह-सदस्यता की परीक्षा के 'क' और 'ख' भाग ।

8. लाबोरो कालेज, लेसेस्टर शायर का इंजीनियरी का आनर्स डिप्लोमा बशर्ते कि उम्मीदवार ने प्राथमिक परीक्षा पास कर ली हो या उससे उसे छूट दे दी गई हो ।

*नोट:—1 या 5 तक की योग्यताएं तब तक स्वीकृत नहीं होगी, जब तक उम्मीदवार इन विषयों में से कम से कम किसी एक में पास नहीं हो :—वनस्पति, विज्ञान, रसायन भूविज्ञान, भौतिक तथा प्राणि विज्ञान ।

परिशिष्ट 2

लिखित परीक्षा की रूप रेखा

1. प्रतियोगिता परीक्षा के विषय :

(क) नीचे पैरा 2 में बताए अनुसार 300 पूर्णांक के दो विषयों की लिखित परीक्षा ।

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग द्वारा बुलाया जाएगा, इस मौखिक परीक्षा के पूर्णांक 300 होंगे जिनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना में सेवा के रेकार्ड के मूल्यांकन के लिए निर्धारित होंगे ।

2. लिखित परीक्षा के विषय दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	दिया जाने वाला समय	पूर्णांक
(I) सामान्य अंग्रेजी	3 घन्टे	150
(II) सामान्य ज्ञान	3 घन्टे	150

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा और लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वे ही होंगे जो इसके साथ-साथ होने वाली नियमित भारतीय वन सेवा परीक्षा की योजना में दिए गए संगत विषयों के लिए होंगे।

4. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

8. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

(परिशिष्ट II के पैरा 3 के अनुसार)

प्रश्न पत्रों का स्तर ऐसा होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान इंजीनियरी ग्रेजुएट से आशा की जाती है।

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे जिनसे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर प्रयोग की जांच हो सके। संभावतः संक्षेप लेखन या सार लेखन के लिए अवतरण दिए जाएंगे।

(2) सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के प्रेषण और अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

भाग ख

मौखिक परीक्षा :—एक बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा की जाएगी, बोर्ड के सामने प्रत्येक उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा, जिसमें सशस्त्र सेनाओं में उसकी सेवा का वृत्त भी शामिल होगा। उम्मीदवार के सामान्य रुचि के विषयों तथा सशस्त्र सेनाओं के उसके अनुभवों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के बोर्ड द्वारा सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है।

2. मौखिक परीक्षा में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (क्रास एग्जामिनेशन) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती, बल्कि उम्मीदवार के ऐसे मानसिक गुणों का उद्घाटन करने के उद्देश्य से किए जाने वाले स्वाभाविक किन्तु साथ ही निर्दिष्ट और सौद्देश्य वार्तालाप की प्रणाली अपनाई जाती है, बौद्धिक उत्सुकता, आलोचनात्मक प्रेक्षण तथा ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति और मानसिक सतर्कता, पहल उपाय और नेतृत्व की क्षमता, सामाजिक संगठन की योग्यता, मानसिक और शारीरिक शक्ति और व्यावहारिक ज्ञान की शक्ति, चारित्रिक निष्ठा, और अन्य गुण जैसे भौगोलिक ज्ञान, बाह्य प्राकृतिक जीवन के प्रति प्रेम और अज्ञात तथा अगम्य स्थानों को खोजने की इच्छा।

परिशिष्ट 3

(नियम 25 के अनुसार)

परिशिष्ट में संक्षेप से सेवा की शर्तों का वर्णन किया गया है जो, नियमित भारतीय वन सेवा परीक्षा द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों पर लागू है जो उम्मीदवार इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे उनकी वरिष्ठता और वेतन सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने को अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अंतर्गत सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतन मान—

जूनियर वेतन मान—	रु० 400–400–450–30–600–35–670–द०रो०–35–950।
सीनियर वेतनमान—	रु० 700 (छटे वर्ष या उससे पहले)—40–1100–50/2–1250।
वनपाल—	रु० 1300–60–1600–100–1800।
मुख्य वनपाल	रु० 2000–125–2250।
वन उप महा निरीक्षक—	रु० 1800–2000 (रु० 300/- विशेष वेतन सहित)
उप मुख्य वनपाल—	(ऐसे राज्यों में जहां यह पद विद्यमान है) रु० 1800-2000।
वन महा निरीक्षक—	रु० 3000 (नियत)।

मंहगाई भत्ता—समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा। परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारंभ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को उस समय मान में वेतन वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) भविष्य निधि —भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) छुट्टी—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) डाक्टरी परिचर्या—भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अंतर्गत प्राप्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए, भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

परिशिष्ट 4

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(नियम 22 के अनुसार)

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि ये अभीष्ट शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षक (मेडिकल एग्जामिनर) के लिए भी सामान्य निर्देश हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता उसे स्वास्थ्य परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह, लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार से यह सिफारिश कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सरकारी सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी। किन्तु यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। पूर्व रक्षा सेवा विकलांग कार्मिकों के लिए स्तर में सेवा की आवश्यकता के अनुसार छूट दी जाएगी।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारिरीक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षता पूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. चलने की जांच—उम्मीदवारों को 4 घंटे में पूर्ण होने वाली 25 किलोमीटर चलने की जांच में सफलता प्राप्त करनी होगी। वन-महानिरीक्षक भारत सरकार द्वारा यह जांच करने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की बैठकों के साथ साथ ही हो।

3(क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवारों को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा।

(ख) कद और छाती का घेर कम से कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
से० मी०	से० मी०	से० मी०
163	84	5 (पुरुषों के लिए)
150	79	5 (महिलाओं के लिए)

गोरखा, गढ़वाली, असमिया नागालैंड की आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम होता है, कम से कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है।

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा:

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाय एड़ियों के पावों की उंगलियों

या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कन्धे माप दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दि हेड लेबल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

5. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इनफीरियर एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84–89, 86–93.5 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :—अंतिम निश्चय लिए जाने से पूर्व उम्मीदवार का कद तथा छाती का नाप दो बार लिया जाना चाहिए।

6. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(I) सामान्य (जनरल)—किसी रोग या विलक्षणता (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को ऐसा भेंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टेन्युस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की संभावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(II) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो जांचें की जाएंगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्में के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

चश्में के साथ और चश्में के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
(ठीक की हुई नजर)		(ठीक की हुई नजर)	
6/6	6/12		
या			
6/9	6/9	जे० I	जे० II

नोट :—

(1) फंडस परीक्षा—जब कभी संभव होगी मेडिकल बोर्ड के इच्छा पर फंडस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे।

(2) कलर विजन—(i) रंगों के संबंध में नजर की जाच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोवर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लेंटर्न के द्वारक (एमर्चर) के आकार पर निर्भर हो।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर
2. द्वारक (एमर्चर) का आकार	1.3 मी० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सेकेंड

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वासनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

(3) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रेटेशन मैथड) द्वारा पुष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसा जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(4) रतोंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़ कर रतोंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है, रतोंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियम स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने

चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्धेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(5) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्युलर कंडीशन्स)–(क) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टेव एरर) को, परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आम पर अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन (स्क्विंट) द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियम स्टैंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती।

8. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)—

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतर सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स-रे और विद्युत हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयेरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका—नियमतः पारेवाले दाबमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिएं। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखा कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ या प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दवा दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है यह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं, यह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिये क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिये क्षेमकार होता है और उससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सब पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबिटीस) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूलिरिआ) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह असमधुमेही (नान डायाबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाएगा।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई औरत उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिये जब तक कि उसका प्रसूति न हो जाय। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा कर्ता से आरोग्य का स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाणपत्र के लिये, उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेषण करना चाहिये :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिये। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर आयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की चिकित्सा-परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग–दर्शन के लिये इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :—

(1)	एक कान प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होना।	यदि उच्च में फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिये योग्य
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष-बोध जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिये योग्य।
(3)	सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पेनिक मेम्बरेन।	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिम्पेनिक मेम्बरेन छिद्र विद्यमान हो तो अस्थायी रूप मे अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधरने से दोनों कानों में मार्जिनता या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थाई रूप में अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिये गये, नियम 4(ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों में सैन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
(4)	एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कविटी सबनार्मल श्रवण वाले कान।	(i) किसी एक कान से समान्य रूप में सुनाई देता हो, दूसरे कान में मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिये योग्य। (ii) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामो के लिये योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान–आपरेशन किया गया/बिना आप आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिये अस्थायी रूप में अयोग्य।
(6)	नासा–अपट की हड्डी सम्बन्धी विस्पताओं (बोनी डिफर्मिटीज) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एलर्जिक दशा।	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (ii) यदि लवणों सहित नासा पर अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
(7)	टांसिलस और/अथवा स्वरयन्त्र (लैन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(i) टांसिल्स और/अथवा स्वरयन्त्र की जीर्ण प्रदाहक दशा—योग्य। (ii) यदि आवाज में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य।
(8)	कान, नाक गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम्य ट्यूमर	(i) हल्क ट्यूमर—अस्थायी रूप में अयोग्य। (ii) दुर्दम्य ट्यूमर—अयोग्य।
(9)	आस्टोकिलश सिस	श्रवण यन्त्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य।
(11)	नेजल पोली	अस्थायी रूप में अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़ ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रफ्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसील, वरीकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ?

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं, और उसकी संधियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं। कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

12. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की ऐक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित पक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की सम्भावना है या नहीं।

नोट :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है। किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है; ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय के भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेश करे तो इस प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा कि जब इस में संबंधित मैडिकल प्रक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य के पूर्णज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है:—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (एपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फार्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बन्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तरकारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगीयों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके स्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषधालय) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई अपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसे निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार की कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमैंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिएं। नीचे दिए नोट में

उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें..................
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं..............

2(क)—क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी नागालैंड आदिम जाति में से किसी जाति से सम्बन्धित हैं, जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए, और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक रुक होने वाला बुखार या कोई दूसरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे रुमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा है और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है।

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनैस) हुई है।

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।

यदि पिता जीवित हों तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु के कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है? ....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइये किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?.....

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?..........

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?.............

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो.........

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गये सभी जवाब सही और ठीक हैं।

मेरे सामने हस्ताक्षर किये। उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर........

नोट—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिये उम्मीदवार जिम्मेदार होगा जान बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन एलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ....की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट।

1. सामान्य विकास:—अच्छा......बीच का..... कम.....

पोषण: पतला..........औसत......मोटा....

कद (जूते उतार कर).......वजन...........

अत्युत्म वजन..............कब था..........

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन...............

तापमान.......................................

छाती का घेर.......................................

(i) पूरा सांस खींचने पर ....

(ii) पूरा सांस निकालने पर.................

2. त्वचा—कोई जाहिरी बीमारी...............

3. नेत्र—

(1) कोई बीमारी.......................

(2) रतोंधी ....

(3) कलर विजन का दोष..................

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन).............

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल ऐक्टीविटि)........

(6) फंड्स की जांच......................

दृष्टि की पकड़	चश्में के बिना	चश्में से	चश्में की पावर गोल सिलि० अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
पास की नजर	दा०ने०		
	बा० ने०		
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्ति)	दा०ने०		
	बा०ने०		

4. कान : निरीक्षण.................सुनना : दायां कान..........बायां कान..........

5. ग्रंथियां ....थाइराइड............

6. दांतों की हालत ....

7. श्वसन तन्त्र (रेस्पिरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें ।

8. परिसंचरण तन्त्र (सक्यलेरटी सिस्टम)

(क) *हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गनिक लोजन)

....

क गति (रेट) :

खड़े होने पर :

25 बार कुदाए जाने के बाद

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर ....सिस्टालिक ....डायस्टालिक ....

9. उदर (पेट) : पैर................दाब वेदना (टेंडरनेस)..............हर्निया ....

(क) दबाकर मालूम पड़ना जिगर......तिल्ली...... गुर्दे..............ट्यूमर..............

(ख) बवासीर के मस्से........फिस्चुला........

10. तांत्रिक तन्त्र (नर्वस सिस्टम) तन्त्रका या मानसिक अशक्तता का संकेत—

11. चाल तन्त्र (लोकोमीटर सिस्टम) कोई विलक्षणता............

12 जनन् मूत्र तन्त्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसील, बेरिकोसिल आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ......

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटि (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एल्ब्युमेरन.......

(घ) शक्कर............

(ङ) कास्ट..........

(च) केशिकाएं (सैल्स)..........

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह भारतीय वन सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ।

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो, उसे विनियम 10 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर ड्यूटी निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है ?

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण.....

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण...

स्थान......... अध्यक्ष (चेयरमैन).....

तारीख........ सदस्य ....

सदस्य ....

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1972

सं० 7(15)/71-आई० सी०—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 26-8-1971 (क्रम सं० 127) को प्रकाशित "10 प्रतिशत केन्द्रीय एकमुश्त अनुदान या राजसहायता योजना, 1971" के पैरा 3, जिसमें दिनांक 25 फरवरी 1972 की इसी संख्या की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है, योजना के पैरा 4, पैरा 7 और पैरा 8 जिनमें दिनांक 5 जून 1972 की इसी संख्या वाली अधिसूचना के द्वारा संशोधन किया गया है, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"3 **प्रयोजनीयता**:—यह योजना इसमें परिभाषित "चुने हुए जिलों/क्षेत्रों" में औद्योगिक एककों के लिए प्रयोजनीय है" ।

"4 **परिभाषाएं** :—(क) "औद्योगिक एकक" का मतलब सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले एककों को छोड़कर किसी भी औद्योगिक उपक्रम और सेवा करने वाले उपयुक्त एकक से है ;

(ख) "नए औद्योगिक एकक" का मतलब है वह औद्योगिक एकक, जिसको स्थापित करने के लिए 1 अक्तूबर, 1970 से पूर्व प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे ;

(ग) "विद्यमान औद्योगिक एकक" का मतलब है वह औद्योगिक एकक जिसको स्थापित करने के लिए 1 अक्तूबर 1970 से पूर्व प्रभावी कदम उठाए गए थे ;

(घ) "पर्याप्त विस्तार" का मतलब है क्षमता का विस्तार, आधुनिकीकरण, आदि के प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक एकक के अचल पूंजी विनियोजन की राशि में वृद्धि , जो 25 प्रतिशत से कम न हों;

(ङ) "प्रभावी कदमों" से मतलब निम्नलिखित कदमों में से एक या अधिक से है :

(1) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी की गई पूंजी का 60 प्रतिशत या अधिक चुका दिया गया है ।

(2) कि कारखाने के भवन का काफी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है ।

(3) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित संयंत्र तथा मशीन के पर्याप्त हिस्से के लिए निश्चित आर्डर दे दिया गया है ।

(ज) "अचल पूंजी विनियोजन" का मतलब भूमि, भवन और संयंत्र और मशीन है । कुल अचल पूंजी विनियोजन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा ।

(1) **भूमि**:—संयंत्र के प्रयोजन के लिए आवश्यक सीमा तक भूमि के लिए चुकाया गया वास्तविक मूल्य पट्टे पर ली गई भूमि के व्यय पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) **भवन**:—जैसा भूमि के मामले में है किराये के भवन के किराये पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) **संयंत्र और मशीन** :—

(1) संयंत्र और मशीन के मूल्य आंकने में स्थापना स्थल पर लगाए गए संयंत्र तथा मशीन की लागत हिसाब में ली जायेगी, जिसमें उत्पादक उपकरण जैसे टूल, जिग्स, डाई और मोल्ड की लागत भी सम्मिलित होगी। परिवहन व्यय, विलम्ब, शुल्क, बीमा-किश्त आदि को भी हिसाब में लिया जाएगा।

(2) कच्चे माल का परिवहन करने और तैयार माल का विपणन करने के लिए वास्तविक उपयोग की सीमा तक सामान ले जाने वाले वाहन पर विनियोजित राशि पर विचार किया जायेगा ।

(3) कच्चा माल और अन्य उपभोग्य सामान सहित कार्य संचालन पूंजी को संयंत्र तथा मशीन के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(छ) "चुना हुआ जिला/क्षेत्र का मतलब है योजना आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से एकमुश्त अनुदान या राजसहायता पाने को चुना गया और इसकी अनुसूची में सम्मिलित जिला/क्षेत्र ।

(ज) "10 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान या राजसहायता का मतलब है कुल अचल पूंजी विनियोजन का दसवां हिस्सा या अतिरिक्त कुल अचल पूंजी विनियोजन, जैसी भी स्थिति हो, जैसा पैरा 6 में उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किया गया है या 5 लाख रुपए की राशि, जो भी कम हो ।"

3—391GI/72

"7. नये औद्योगिक एककों के बारे में, जो वित्तीय संस्थाओं या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से सहायता लिए बिना ही स्थापित किए गए हैं, 10 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान या राजसहायता **एकक में उत्पादन प्रारम्भ होने के समय** संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा एककों को वितरित की जायगी और उसके पश्चात् संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन औद्योगिक विकास मंत्रालय से इसे प्राप्त करेंगे । इसी प्रकार वित्तीय संस्थाओं या संबंधित राज्य सरकार/जन संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से सहायता लिए बिना विद्यमान एककों द्वारा किए गए पर्याप्त विस्तार के बारे में 10 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान या राजसहायता पर्याप्त विस्तार करने पर एकक में उत्पादन प्रारम्भ होते समय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा एकक को बांटी जायगी और उसके पश्चात् संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्रालय से इसे प्राप्त करेंगे ।"

"8. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सहायता किए जाने वाले औद्योगिक एकक को 10 प्रतिशत राजसहायता संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा एकक को उतनी ही किश्तों में बांटी जायेगी जितनी में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा ऋण बांटा जायगा और वे साथ-साथ केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्रालय से इसे प्राप्त करेंगे । इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और संबंधित एकक के बीच की जाने वाली संविदा के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि और 10 प्रतिशत अनुदान या राजसहायता तक एकक की सम्पत्ति बन्धक रखना/गिरवी रखना/आडमान आ सकता है । नये औद्योगिक एकक के सम्बन्ध में या विद्यमान औद्योगिक एकक के पर्याप्त विस्तार के संबंध में, जिनकी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता की जाती है, 10 प्रतिशत राजसहायता वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकक को उतनी ही किश्तों में दी जायगी जितनी किश्तों में वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण किया जायगा और वह साथ-साथ इसे औद्योगिक विकास मंत्रालय से प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के मामलों में वित्तीय संस्था और संबंधित एकक के बीच की जाने वाली संविदा के अन्तर्गत संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि और 10 प्रतिशत राजसहायता तक एकक की सम्पत्ति बंधक रखना/गिरवी रखना/आडमान आ सकता है ।

शर्त यह है कि यदि संबंधित वित्तीय संस्था को केन्द्रीय सरकार से राज सहायता और इसकी किश्त की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में कोई विलम्ब होता है तो औद्योगिक एकक को वित्तीय संस्था द्वारा ऋण देने की तिथि और केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय संस्था को राजसहायता देने की किश्त

की प्रतिपूर्ति की तदनुरूपी निधि के बीच की अवधि की औद्योगिक एकक से लिए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय संस्था को की जायगी।

आबिद हुसैन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० एल० ई० (1)13(9)/72—भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प सं० एल० ई० आई० (ए) 16(1)/67, दिनांक 12 अक्तूबर 1970, 24 नवम्बर 1970, 12 फरवरी 1971 तथा इस मंत्रालय के संकल्प सं० एल० ई० (1)-16 (1)/67, दिनांक 4 जनवरी 1972 तथा 23 अगस्त 1972 का अधिलंघन करते हुए भारत सरकार ने चिकित्सा यंत्रों, उपकरण तथा सहायक सामानों के विकास की सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

2. सलाहकार समिति के कार्य ये हैं :

(1) चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा यंत्रों, उपकरण तथा सहायक सामानों तथा सम्बद्ध वस्तुओं के निर्माण में होने वाले विकास के समान विकसित करना।

(2) निर्माण के लिए समय-समय पर नई वस्तुओं का सुझाव देना; और

(3) इस उद्योग के विकास से संबधित मामलों के सभी पहलुओं पर सरकार को सलाह देना।

3. सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण भवन, नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2. श्री के० एन० रामास्वामी, औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी) तकनीकी विकास का महानिदेशालय नई दिल्ली। — सदस्य तथा वैकल्पिक अध्यक्ष

3. कर्नल, एन० एन० बेरी अवैतनिक दंत सलाहकार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा शहरी विकास मंत्रालय, 13, कर्जन रोड, नई दिल्ली। — सदस्य,

4. डा० पी० पी० गोयल, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। — सदस्य

5. ब्रिगेडियर, बी० ए० राव, उप महानिदेशक (उपकरण तथा स्टोर), फौजी चिकित्सा सेवा का महानिदेशालय, नई दिल्ली। — सदस्य

6. निदेशक, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली। — सदस्य

7. डा० गोपीनाथ, आल इंडिया इन्स्टीट्यूट, आफ मेडिकल सर्विसेज, नई दिल्ली। — सदस्य

8. श्री एस० राघवैया, निदेशक, विकास आयुक्त, लघु उद्योग का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली। — सदस्य

9. श्री पी० वी० मेनन, सहायक विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महा निदेशालय, (यंत्र निदेशालय), नई दिल्ली। (इन्स्ट्रूमेन्ट्स डायरेक्टोरेट) — सदस्य-सचिव

10. श्री वी० वी० एस० मूर्ति, उप-अधीक्षक, (किस्म नियन्त्रण), सर्जीकल, इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्लाट, नन्दबाकुम, मद्रास-16। — सदस्य

11. श्री ए० बी० राव, निदेशक (कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स), भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। — सदस्य

12. श्री ए० के० राय, निर्माण प्रबन्धक, मे० सीमेन्स इन्डिया, लि० का एक्सरे, प्रभाग, 134-ए, डा० एनीबेसैंट रोड, वर्ली, बम्बई-18। — सदस्य

13. श्री टी० पी० जी० नम्बियार, द्वारा मे० ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज इण्डिया प्रा० लि०, 28, के० एच० रोड, बंगलौर-27। — सदस्य

14. श्री डी० वी० एस० राजू, प्रबन्ध निदेशक, इलैक्ट्रानिक एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि० सनतनगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)। — सदस्य

15. श्री के० डी० केहर, द्वारा/मे० केहर सर्जिकल एण्ड एलायड प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सी-34, पनकी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कानपुर (उ० प्र०)। — सदस्य

6. महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

4. सलाहकार समिति का कार्यालय प्रथमतः दो वर्षों का होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबधित व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सी० मल्लिकार्जुनन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 8 दिसम्बर 1972

संकल्प

स० पी० ई० सी०-24(2)/72—भारत के असाधारण राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 1961 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प संख्या प्रो० को० 28(1)/58, दिनांक 7 अप्रैल 1961 के पैरा 2 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों को वर्ष 1971-72 में उनके कार्य-संपादन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिए जाने के लिए अधिसूचित किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

औद्योगिक विकास मंत्रालय

1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर ।
2. हिन्दुस्तान केबल्स लि०, डा० हिन्दुस्तान केबल्स (पश्चिम बंगाल) ।
3. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल ।
4. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, नई दिल्ली ।
5. नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लि०, कलकत्ता ।
6. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०, नेपा नगर ।
7. हिन्दुस्तान साल्ट लि० जयपुर ।
8. सांबर साल्ट लि०, जयपुर ।
9. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, ऊटक मंड ।
10. इंस्ट्रूमेन्टेशन लि०, कोटा (राजस्थान) ।
11. मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, अजमेर ।
12. सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली ।
13. टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कानपुर ।

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

14. हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची ।
15. तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट लि०, डा० तुंगभद्रा बांध, जिला बेल्लारी (मैसूर) ।
16. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लि० रांची ।
17. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर ।
18. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, नैनी, इलाहाबाद ।
19. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०, विशाखापत्तनम ।

इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग)

20. नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, रांची ।
21. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० हैदराबाद ।
22. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०, नेवेली, (तमिलनाडु) ।
23. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०, नागपुर ।
24. हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर ।
25. हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतरी (राजस्थान) ।

संचार विभाग

26. इन्डिया टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर ।
27. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, मद्रास ।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय

28. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली ।
29. कोचीन रिफाइनरीज लि०, एर्णाकुलम (केरल) ।
30. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून ।
31. मद्रास रिफाइनरीज लि०, मद्रास ।
32. ल्युब्रिजल इण्डिया लि०, बम्बई ।
33. हिन्दुस्तान एंटीबयाटिक्स लि०, पिम्परी, पूना ।
34. हिन्दुस्तान इंसेटीसाइड्स लि०, नई दिल्ली ।
35. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली ।
36. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फर्माक्यूटिकल्स लि०, नई दिल्ली ।
37. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०, एलवेथ (केरल) ।
38. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, मद्रास ।
39. पाइराईट्स फासफेट एण्ड केमिकल्स लि०, डेहरी आनसोन ।
40. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, रसायनी ।

परमाणु ऊर्जा विभाग

41. इण्डियन रेयर अर्थस लि०, बम्बई ।
42. इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, हैदराबाद ।
43. यूरैनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, जादूगुडा ।

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

44. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

45. हिन्दुस्तान लेटैक्स लि०, नई दिल्ली ।

निर्माण, आवास तथा शहरी विकास मंत्रालय

46. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि०, नई दिल्ली ।

47. नेशनल बिल्डिंग्स कान्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली (यंत्रीकृत ईंटे संयंत्र) ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

(1) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार की समिति के सभी सदस्यों को ।

(2) सभी संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ।

(3) सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा उद्योग अनुभागों को । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० 5-14/72-सीमेंट—भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प संख्या 5-8/69-सीमेंट, दिनांक 28 मार्च 1970 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग की नामिका को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । नई नामिका का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष का होगा और इसकी संरचना निम्न प्रकार होगी :—

अध्यक्ष

1. डा० एक सीतारमैया,
महानिदेशक, तकनीकी विकास,
नई दिल्ली ।

सदस्य

2. श्री रणवीर एस० खटाऊ
दि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड,
सीमेंट हाउस, 121, महर्षि कर्वे रोड,
बम्बई-1 ।

3. श्री एल० स्वरूप,
डालमियां सीमेंट (भारत) लिमिटेड,
4, सिंधिया हाउस,
नई दिल्ली ।

4. श्री एस० एस० रामचन्द्र राजा
मद्रास सीमेंट लिमिटेड,
"राममन्दिरम्",
राजापालैयम (तमिलनाडु) ।

5. श्री एस० एस० कोटारी,
मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड,
सवाई माधोपुर (राजस्थान) ।

6. श्री एस० पी० सिन्हा,
मैसर्स कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स लिमिटेड,
बनजारी (बिहार) ।

7. श्री एन० श्रीनिवासन,
मैसर्स इण्डिया सीमेंट लिमिटेड,
175/1, माउंट रोड,
मद्रास ।

8. डा० बी० सी० जैन,
सतना सीमेंट वर्क्स,
इन्डस्ट्री हाउस, 15-ए,
चर्च गेट, रिक्लेमेशन,
बम्बई-1 ।

9. श्री वी० एम० राव,
उपाध्यक्ष, सीमेंट मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,
द्वारा दि के० सी० पी० लिमिटेड,
38, माउंट रोड, मद्रास-6 ।

10. श्री जे० पी० मुखर्जी,
बालचंदनगर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
बालचंदनगर, पूना ।

11. श्री के० वी० तालचेरकर,
होलटैक इंजीनियर्स (प्रा०) लिमिटेड,
बैंक आफ बिहार बिल्डिंग,
पो० बा० 57,
जजेज, कोर्ट, रोड, पटना-1 ।

12. प्रबन्ध निदेशक,
सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड,
"नेशनल हैराल्ड बिल्डिंग,"
5-ए, बहादुर शाहजफर मार्ग,
नई दिल्ली-1 ।

13. श्री जे० एन० तिवारी,
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक,
दि यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
चुर्क, मिर्जापुर ।

14. प्रबन्ध निदेशक ,
मैसर्स तमिलनाडु सीमेंट्स ,
अलैअंगुलम् , तमिलनाडु ।

15. डा० एच० सी० विश्वैस्वरया,
निदेशक, भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्था,
नई दिल्ली-49 ।

16. श्री रवीन्द्र सिंह,
निदेशक, राष्ट्रीय भवन संगठन,
नई दिल्ली ।

17. श्री सी० ए० तनेजा, सदस्य
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था,
रूड़की (उत्तर प्रदेश) ।

18. उप-सचिव, (सीमेंट उद्योग का प्रभारी),
औद्योगिक विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

19. श्री एस० जी० बसाक, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी (सीमेंट),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और आम सूचनार्थ इसे भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० राव,
उप-सचिव,

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय
(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० 2-62/72-नीति—भारत सरकार ने परिवार नियोजन सम्बन्धी एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन समिति गठित की है। इस समिति की रचना निम्नलिखित प्रकार से होगी :—

1. प्रो० वी० के० आर० वी० राव, अध्यक्ष

2. डा० एस० एन० रानाडे, सदस्य
दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क

3. डा० एच० एन० मूर्ति, ,,
मेन्टल हैल्थ इन्स्टीच्यूट,
बंगलौर ।

4. डा० एस० एन० अग्रवाल, ,,
निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान,
बम्बई ।

5. प्रो० वी० रामालिंगस्वामी, ,,
निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली

6. डा० ए० घोष, ,,
व्यावहारिक अर्थशास्त्र, विभाग
यादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

7. श्री वी० के० रामभद्रन, ,,
उप महा-पंजीकार,
नई दिल्ली ।

8. आयुक्त, परिवार नियोजन तथा प्रसूति सदस्य
और बाल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और
परिवार नियोजन मंत्रालय ।

9. निदेशक (आयोजना), परिवार नियोजन
विभाग, नई दिल्ली ।

10. निदेशक, राष्ट्रीय परिवार नियोजन सदस्य-
संस्थान, नई दिल्ली । सचिव

2. समिति को अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने तथा तदर्थ प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की भी शक्ति होगी ।

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, संचारी तथा जनांकिकीय पहलुओं पर अनुसंधान के सम्बंध में परामर्श देना और उनमें समन्वय स्थापित करना ।

(2) इन क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्य की प्रगति की समीक्षा करना ।

(3) इन क्षेत्रों में अनुसंधान सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करना तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय को सिफारिशें करना ।

(4) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले जनसंख्या अध्ययन सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्रों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना ।

(5) उपर्युक्त क्षेत्रों में जिनमें प्रारम्भ किए गए कार्य को चालू रखना, तदर्थ अध्ययन, विशेष परि-योजनाएं और शिक्षा-वृत्तियां भी शामिल हैं, अनुसंधान कार्य के लिए संस्थानों और व्यक्तियों को नियत बजट की सीमाओं के भीतर अनुदान स्वीकार करने के लिए सिफारिश करना ।

(6) इन क्षेत्रों में अनुसन्धान के विकास के लिए अन्य उपाय सुझाना ।

4. इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से दो वर्ष होगा ।

5. समिति के गैर-सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी 1 के उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों को स्वीकार्य हैं । समिति के जो सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं वो स्वीकार्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उसी स्रोत से प्राप्त करेंगे जहां से उन्हें वेतन मिलता है ।

6. इस पर होने वाला खर्च स्वीकृत बजट अनुदान में से जो मुख्य शीर्ष 30-क परिवार नियोजन, ग. परिवार नियोजन—ग-6 प्रशिक्षण और अनुसंधान, ग-6(2) अनुसधान में से पूरा किया जाएगा। यह खर्च "आयोजना" खर्च के रूप में अंकित किया जाएगा।

आदेश

आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

रवीन्द्र नाथ मधोक, अपर सचिव

कृषि मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० 20-2/71-मशी० (यो०)—सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 5-1/67-मशी०, दिनांक 11 जुलाई, 1969 तथा 24 अगस्त 1969 के अनुसार गठित कृषि मशीनरी और औजार बोर्ड द्वारा की गई प्रगति का पुनरीक्षण किया और बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1.	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	श्री जितेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	,,
5.	मशीनरी के प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव, कृषि मंत्रालय।	,,
6.	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग)	,,
7.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, (औद्योगिक विकास विभाग)	,,
8.	सयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग)	,,
9.	सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	,,
10.	सयुक्त कृषि निदेशक, (कृषि इंजीनियरी), मैसूर राज्य, हेब्बल	,,
11.	कृषि इंजीनियर तथा सचिव, राजस्थान इंजीनियरी मण्डल, जयपुर	,,
12.	राज्य कृषि इंजीनियर, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम	,,
13.	प्रबन्ध-निदेशक, बिहार कृषि उद्योग विकास, निगम लिमिटेड, पटना	,,
14.	प्रबन्ध-निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम, लखनऊ	,,
15.	प्रबन्ध-निदेशक, आंध्र प्रदेश, कृषि उद्योग निगम, हैदराबाद	,,
16.	प्रबन्ध-निदेशक, असम कृषि -उद्योग निगम लिमिटेड, गोहाटी	सदस्य
17.	प्रबन्ध-निदेशक, तमिल नाडु, कृषि उद्योग निगम, मद्रास	,,
18	प्रबन्ध-निदेशक, महाराष्ट्र कृषि-उद्योग, निगम लिमिटेड, बम्बई।	,,
19.	प्रबन्ध-निदेशक, पंजाब कृषि-उद्योग, निगम लिमिटेड, चंडीगढ़।	,,
20.	प्रबन्ध-निदेशक, हरियाणा कृषि-उद्योग, निगम लिमिटेड, चंडीगढ़।	,,
21.	निदेशक, (औजार), कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।	,,
22	संयुक्त आयुक्त (मशीनरी), कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।	,,
23.	श्री वी० आर० सुले, उपाध्यक्ष, इन्टरनेशनल ट्रैक्टर, कं० आफ इंडिया लि०, बम्बई-1।	,,
24.	श्री वी० टी० वेलु, प्रबन्ध निदेशक, वी० एस० टी० टिलर्स ट्रैक्टर, लिमिटेड, बंगलौर।	,,
25.	श्री पी० एस० बनर्जी, महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, पिंजौर।	,,
26.	वी० सी० कपूर, सर्वश्री कोसुल एण्ड कम्पनी, कानपुर।	,,
27.	श्री आर० रिखी, सर्वश्री रिखी इन्टरप्राइजिज, लुधियाना।	,,
28.	प्रबन्ध-निदेशक, राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली	,,
29.	उप महानिदेशक, (मृदा सस्य-विज्ञान इंजीनियरिंग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	,,
30.	मशीनरी के प्रभारी उप सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)	सदस्य सचिव

2. इस बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) पावर टिलरों, ट्रैक्टरों, कृषि औजारों, आदि का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना;

(2) उपरोक्त मदों की उपलब्धि तथा उनके वितरण एवं व्यवस्था का समय-समय पर पुनरीक्षण करना;

(3) उपर्युक्त उपकरणों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं तथा उनको लोकप्रिय बनाने के लिये भी पुनरीक्षण करना; और

(4) उपर्युक्त मशीनरी व औजारों के निर्माण तथा वितरण के उद्योग से संबंधित अन्य कोई भी मामला।

3. सदस्यता की अवधि निम्न प्रकार होगी :—

(1) जो सदस्य किसी पद पर होने या नियुक्ति के कारण सदस्य है, उन्हे छोड़कर अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक इस पर बने रहेंगे।

(2) निम्नलिखित में से कोई बात होने पर कोई सदस्य पद पर बना नहीं रह सकेगा :—

उसकी मृत्यु होने, त्यागपत्र देने, विकृत मानसिक स्थिति होने, दिवालिया होने पर या किसी दण्डनीय अपराध व नैतिक भ्रष्टता के कारण न्यायालय द्वारा सजा होने पर।

(3) यदि किसी उपरोक्त कारण से किसी सदस्य का स्थान खाली हो जाता है तो वह स्थान ऐसे ढंग से भरा जायेगा, जिसे केंद्रीय कृषि विभाग उचित समझे। ऐसी सब नियुक्तियां उपरोक्त (1) में लिखित अवधि के शेष भाग के लिये होंगी।

4. बोर्ड की बैठक आवश्यकतानुसार की जा सकती है, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बैठक होगी।

5. बोर्ड के कार्य के लिये लिपिकीय सहायता कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) द्वारा दी जायगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सब मंत्रालयों/विभागों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के सभी संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय संसद पुस्तकालय (5 प्रतियां) तथा सब राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

आई० जे० नायडू, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1972

सं० एफ० 16-24/71-यू० 2—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक संस्था के उक्त अधिनियम की अनुसूची में नाम जोड़ती है अर्थात् :—

"जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली"

सं० एफ० 16-24/71-यू०-2—भविष्य निधि अधिनियम, (1925 का xix) के खंड 8 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की सीमायें भविष्य निधि पर लागू होंगी, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के लाभ के लिये स्थापित किया गया है।

एस० एम० एस० चारी
संयुक्त शिक्षा सलाहकार

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० एफ० 22/23/71-एस० डब्ल्यु०-5—केंद्रीय मद्यनिषेध समिति का गठन करने वाले इस विभाग के पूर्व संकल्प संख्या एफ० 22/22/69-एस० डबल्यु०-5, दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 के आशोधन में भारत सरकार ने समाज कल्याण के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष और समाज कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्री/उप मंत्री को उपाध्यक्ष के रूप में लेते हुए इस समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. समाज कल्याण के प्रभार मंत्री . . अध्यक्ष
2. समाज कल्याण के प्रभारी उप-मंत्री . उपाध्यक्ष
3. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद . . . सदस्य
4. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, असम, शिलांग . . . सदस्य
5. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, बिहार, पटना सदस्य
6. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, गुजरात, गांधीनगर . . . सदस्य
7. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, हरियाणा, चंडीगढ। . . . सदस्य
8. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, जम्मू तथा काश्मीर, श्रीनगर . . सदस्य
9. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, केरल, त्रिवेंद्रम सदस्य
10. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल . . सदस्य
11. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्र, बम्बई . . . . सदस्य
12. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, मैसूर, बंगलौर . . सदस्य
13. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, नागालैंड, कोहिमा . . सदस्य
14. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, उड़ीसा, भुवनेश्वर सदस्य
15. मद्यनिषेध के प्रभारी, मंत्री, पंजाब, चंडीगढ सदस्य
16. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, राजस्थान, जयपुर . . . सदस्य

17. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, तमिलनाडु, मद्रास . . . सदस्य

18. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ . . . सदस्य

19. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता । . . . सदस्य

20. मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला . . . सदस्य

21.
22. } संघ शासित क्षेत्रों से तीन मनोनीत सदस्य बारी बारी से ।
23.

24. डा० सुशीला नायर ; अध्यक्ष, अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद् ।
25. श्री न्यायधीश टेक चन्द .
26. श्री पी० डी० पटवारी, उपाध्यक्ष, नशाबन्दी मंडल, गुजरात ।
27. श्री जीवन लाल जयराम दास, अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ, दिल्ली-9 ।
28. श्री ए० जयरामन अध्यक्ष, तामिलनाडु दलित वर्ग लीग, रानीपेट, उत्तर आरकोट जिला, तमिलनाडु ।

} गैर सरकारी सदस्य ।

कार्य

(1) विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध की प्रगती और मद्यनिषेध नीति का आवधिक पुनरीक्षण करना ;

(2) मद्यनिषेध नीति को लागू करने में राज्यों द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना तथा इस प्रकार की कठिनाइयों पर काबू पाने के उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना ;

(3) मद्यनिषेध के अधीन पहले ही आये हुए क्षेत्र या वे क्षेत्र जो नहीं आते हैं, दोनों ही में मद्यनिषेध के पक्ष में प्रचार तीव्र करने के उपायों के सुझाव देना ;

(4) मद्यनिषेध और विशेष कर मदात्यय विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में आर्थिक और सामाजिक आशयों के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांख्यिकीय अध्ययनों को प्रोत्साहन देना;

   (1) मदिरा और मादक पेयों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल के वैकल्पिक आर्थिक उपयोग :—

   (2) उन परिवारों का पुनर्वास जिन के रोजगार के वर्तमान अवसर मद्यनिषेध के चालू होने से समाप्त हो गये हों ;

(5) निम्नलिखित कार्यों में लगे और गैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता और प्रोत्साहन देने के उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना :—

   1. मद्यनिषेध और मदयत्याग का प्रचार;

   2. एलकोहल और मदिरा पान करने वालों की देखभाल तथा पुनर्वास ।

   3. मद्यनिषेध से संबंधित समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि, समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, अखिल भारतीय परिषद् तथा सभी राज्य सरकारों/संघ मद्यनिषेध शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

टी० एस० एन० स्वामी, अवर सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सा० का नि०—संविदा श्रमिक (विनियम और उत्पादन) केंद्रीय नियम 1971 के नियम 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविदा श्रमिक (विनियम और उत्पादन) अधिनियम 1970 और संविदा श्रमिक (विनियम और उत्पादन) केंद्रीय नियम 1971 की कुछ संक्षिप्त एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है :—

संविदा श्रमिक (विनियम और उत्पादन) अधिनियम 1970 और संविदा श्रमिक (विनियम और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 की संक्षिप्त ।

I. अधिनियम का विस्तार

इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

किसी कर्मकार का किसी करार या संविदा या स्थायी आदेशों के निबन्धनों के अनुसार जो अधिकार प्रसुविधायें प्राप्त हैं या जो प्राप्त किये जा सकते हैं या सेवा की और अनुकूल शर्तों के हकदार हैं या ऐसे करारों आदि के करने के जिनसे इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल प्रसुविधायें प्राप्त हो जायें को यह अधिनियम छीन नहीं रहा है ।

II. यह अधिनियम किन को लागू होता है

यह अधिनियम प्रत्येक ऐसे स्थापन पर लागू होता है, जिसमें 20 या अधिक कर्मकार संविद श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन नियोजित थे और ऐसे हर ठेकेदार को लागू होता है जो 20 या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या पूववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन नियोजित किये थे ।

ऐसे स्थापन जिसमें केवल आंतरायिक या आकस्मिक प्रकार का कार्य किया जाता हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते । लेकिन ऐसे स्थापन जहां की पूर्ववर्ती 12 मासों में 120 या अधिक दिन

काम किया गया था या किसी सामयिक प्रकार के कार्य में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन काम किया गया था, को आंतरायिक प्रकार का काम करने वाला नहीं समझा जाएगा ।

III. **परिभाषाएं :**

(i) समुचित सरकार से :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन, चलाये जाने वाले किसी आयोग से संबंधित कोई स्थापन,

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई नियंत्रित उद्योग,

(ग) कोई रेल,

(घ) छावनी बोर्ड,

(ङ) महापत्तन,

(च) खान,

(छ) तेल-क्षेत्र,

(ज) किसी बैंककारी या बीमा कंपनी का कोई स्थापन

(झ) के संबंध में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ।

(ख) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, जिस राज्य में वह स्थापन स्थित है, वहां की राज्य सरकार अभिप्रेत है ।

(ii) **स्थापन** :—सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी कोई कार्यालय या विभाग या ऐसा कोई स्थान जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उप-जीविका चलाई जाती है ।

(iii) **प्रधान नियोजक :** (क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में कार्यालय या विभाग या प्राधिकारी का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे । (ख) किसी कारखानों की दशा में, उस कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और कारखाना अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रबन्धक और किसी खान के मामले में खान का स्वामी या अभिकर्ता और खान का प्रबंधक । (ग) किसी अन्य स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति ।

(iv) "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति जो विनिर्मित माल या वस्तुओं के सिर्फ प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम संविदा श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिये प्राप्त कराने को वचनबद्ध है या जो उस स्थापन के किसी भी काम के लिये संविद श्रमिकों का प्रदाय करता है । ठेकेदार के अन्तर्गत उप-ठेकेदार आता है ।

(v) "संविद श्रमिक" कोई कर्मकार किसी स्थापन में "संविद श्रमिक" के रूप में नियोजित समझा जायगा जब वह प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, किसी ठेकेदार के माध्यम से काम के लिये भाड़े में रखा जाता है ।

(VI) कर्मकार"—कोई व्यक्ति जो किसी स्थापन में भाड़े या इनाम के लिये कोई कुशल, अकुशल या अकुशल शारीरिक कार्य या पर्यवेक्षणीय तकनीकी या लिपिक कार्य करने के लिये किसी स्थापन में नियोजित है, चाहे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हों या विवक्षित ।

कोई व्यक्ति जो मुख्यत: प्रबन्ध संबंधी या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है या पर्यवेक्षण संबंधी हैसियत में नियोजित है और 500 रु० मासिक से अधिक मजदूरी पाता है या जो मुख्यत: प्रबन्ध संबंधी कार्य करता है और बाह्य कार्मिक जो प्रधान नियोजक की ओर से ऐसे परिसर में कोई कार्य करता है जो प्रधान नियोजक के नियंत्रक और प्रबंध के अधीन नहीं है, को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकार के रूप में नहीं माना जायगा ।

IV. **अधिनियम, नियमों को केन्द्रीय क्षेत्र में लागू करने के लिए तंत्र**

सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी के रूप में और सभी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं सभी प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) और कनिष्ठ श्रम निरीक्षक, निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गए हैं ।

सलाहकार बोर्ड

अधिनियम के प्रशासन संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिये समुचित सरकार सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी ।

V. **रजिस्ट्रीकरण**

किसी स्थापन का हर प्रधान नियोजक अपने स्थापन के संबंध में, जिस क्षेत्र में उसका स्थापन स्थित है, उसके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समुचित सरकार द्वारा विहित नियत अवधि के भीतर, उस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट फीस देकर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा । समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत किया जा सकेगा यदि यह पाया जाय कि प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को दबा कर प्राप्त किया गया या रजिस्ट्रीकरण बेकार या प्रभावहीन हो गया है ।

VII. **अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव**

किसी स्थापन का कोई प्रधान नियोजक, यदि उसका स्थापन समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है या उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के पश्चात् संविद श्रमिक नियोजित नहीं कर सकता है ।

III. **संविद श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध**

समुचित सरकार यथास्थिति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड या राज्य सलाहकार बोर्ड से सलाह करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, क्रिया, या अन्य संकर्म में संविद श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगी । ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले समुचित सरकार उस स्थापन में संविद श्रमिकों के लिये व्यवस्थित कार्य की दशाओं और प्रसुविधाओं तथा अन्य संगत बातों का ध्यान रखेगी ।

IX. ठेकेदारों का अनुज्ञापन

1. समुचित सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित की गई तारीख से कोई ठेकेदार, जिसको यह अधिनियम लागू होता हो, संविद श्रमिकों के माध्यम से कोई भी काम नहीं लेगी या निष्पादित नहीं करेगा सिवाय अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में।

2. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसको अधिनियम लागू होता हो, जहां उसका स्थापन स्थित है उस क्षेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी से, समुचित सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर प्रति कर्मकार 30 रु० जमा कर के और विहित फीस देकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। अनुज्ञप्ति के प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना होगी :—

(1) अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी।

(2) उस स्थापन में संविद श्रमिकों के रूप में अधिकतम कितने कर्मकार नियोजित किये जा सकते हैं के साथ अन्य विशिष्टियां जैसे कि संदेय मजदूरी की दर, कार्य के घंटे और कर्मकारों की सेवा की अन्य शर्तें।

(3) ऐसे स्थापन में, जहां सामान्यत: 20 या अधिक कर्मकार संविद श्रमिक के रूप में नियोजित हों, ठेकेदार युक्तियुक्त आकार के दो कमरों की शिशु-कक्ष के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों के लिये खिलौने, खेलकूद, बिस्तरों और चारपाईयों की व्यवस्था करेगा।

अनुज्ञप्ति 12 मास के लिये विधिमान्य होगी और विहित फीस देने पर उसे नवीकृत किया जा सकेगा और किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन उस जारी की गई अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व दिया जाना चाहिये। यदि अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन आदि द्वारा प्राप्त की गई हो या यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो उसे प्रतिसंहृत किया जा सकेगा। व्यथित पक्षकार द्वारा ऐसे आदेश पर आदेश के 30 दिन के भीतर अपील दायर की जा सकेगी।

X. संविद श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य

कैन्टीन, विश्रामकक्ष, पेय जल, शौचालय, मूत्रालय, धुलाई सुविधाओं को निम्नलिखित मापमान पर, कल्याण, स्वास्थ्य प्रसुविधाओं में से प्रत्येक के सामने दी गई विहित समय सीमा के भीतर व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का है :—

कल्याण, स्वास्थ्य प्रसुविधायें	शर्तें, मापमान	समय सीमा
1	2	3
कैंटीन	जब संविद श्रमिकों का नियोजन 6 महीने के लिये चलते रहने की संभावना हो और नियोजित संविद श्रमिकों की संख्या 100 या अधिक हो, नियमों में यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त कैंटीन की व्यवस्था करनी और चलानी होगी।	विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात् 16-2-71 से 60 दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ 60 दिन के भीतर।
विश्राम कक्ष	जहां कहीं भी संविद श्रमिकों का नियोजन 3 मास या उससे अधिक के लिये चलते रहने की संभावना हो और संविद श्रमिकों से रात में रुकना अपेक्षित हो, नियमों के अनुसार विश्रामकक्ष रखने होंगे।	विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात् 10-2-71 से 15 दिन के भीतर और नये स्थापनों के मामले में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 15 दिन के भीतर।
पेय-जल	सुविधाजनक स्थलों पर स्वास्थ्यप्रद पेय-जल की व्यवस्था होगी।	विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात् 10-2-71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 7 दिन के भीतर।
धुलाई सुविधायें	जैसा नियमों में बताया गया है धुलाई सुविधाओं के लिये उपयुक्त और समुचित सुविधायें दी जायेंगी।	विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात् 10-2-71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 7 दिन के भीतर।
मूत्रालय, शौचालय	1. जहां महिलायें नियोजित हों वहां प्रत्येक 25 महिलाओं के लिये कम से कम एक शौचालय।	यथोक्त
	2. जहां पुरुष नियोजित हों, वहां प्रत्येक 25 पुरुषों के लिये कम से कम एक शौचालय। जहां पुरुषों या महिलाओं की संख्या 100 से अधिक हो तो प्रथम 100 तक यथास्थिति प्रत्येक 25 पुरुषों या	यथोक्त

1	2	3
	महिलाओं के लिये एक शौचालय और उसके पश्चात् 50 के लिये एक, प्रयाप्त होगा।	
प्राथमिक उपचार सुविधायें	प्रत्येक 150 संविद श्रमिकों या उनके किसी भाग के लिये कम से कम एक बक्स की दर पर प्राथमिक उपचार-बक्स रखा जाना चाहिये और पूरे कार्य के घंटे के दौरान तुरंत पहुंच में होना चाहिये।	विद्यमान स्थापनों की दशा में नियमों के प्रवर्तन की तारीख अर्थात 10-2-71 से 7 दिन के भीतर और नये स्थापनों की दशा में संविद श्रमिकों के नियोजन के आरम्भ से 7 दिन के भीतर।

यदि ठेकेदार विहित समय सीमा के भीतर किसी प्रसुविधा की व्यवस्था करने में असफल रहे तो ऐसी प्रसुविधा प्रधान नियोजक द्वारा, कैंटीन के मामले में 60 दिन के भीतर, विश्रामकक्ष के मामले में 15 दिन में, पेय-जल के प्रदाय शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था, धुलाई और प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की बाबत 7 दिन में, ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके दौरान ठेकेदार से व्यवस्था करना अपेक्षित था, की जायगी।

XI. मजदूरी का संदाय

(i) ठेकेदार मजदूरी की वह अवधिया, एक माह से अनधिक नियत करेगा जिनकी बाबत मजदूरी देय होगी।

(ii) ऐसे स्थापन में जहा एक हजार से कम व्यक्ति नियोजित किये गये हो संबंधित मजदूरी अवधि की अन्तिम दिन के पश्चात् 7वां दिन समाप्त होने से पहले मजदूरी दी जायगी और जहां एक हजार या अधिक व्यक्ति नियोजित हों वहां दसवा दिन समाप्त होने से पहले दी जायगी।

(iii) किसी कर्मकार के नियोजन की समाप्ति पर देय मजदूरी उसके नियोजन की समाप्ति के दिन से दूसरे-कार्य दिवस की समाप्ति से पूर्व उसको देय मजदूरी दी जायगी।

(iv) सभी संदाय कर्मकार को सीधे या कर्मकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से किये जायेंगे, मजदूरी, चालू सिक्के या करेंसी या दोनों में दी जायगी और पहले से अधिसूचित तारीख को कार्य-परिसर पर कार्य घंटों के दौरान किसी कार्य दिवस को दी जायगी।

(v) यदि काम मजदूरी की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा हो जाय तो अंतिम संदाय अंतिम कार्य-दिवस के 48 घंटे के भीतर किया जायगा।

(vi) मजदूरी बिना किसी कटौती के, सिवाय मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अधीन प्राधिकृत, कर्मकार को दी जायगी।

(vii) मजदूरी का संदाय प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में और इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित स्थान और समय पर किया जायगा।

XII. रजिस्टर और अभिलेख

(i) प्रधान नियोजक संविदाओं का एक रजिस्टर रखेगा।

(ii) प्रत्येक ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखेगा और प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजन के तीन दिन के भीतर नियोजन-पत्र भी जारी करेगा। नियोजन की समाप्ति पर ठेकेदार कर्मकार को सेवा प्रमाणपत्र भी जारी करेगा।

(iii) ठेकेदार अंग्रेजी और हिंदी मे निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा :—

(क) मस्टर रोल;

(ख) मजदूरी का रजिस्टर;

(ग) कटौतियों का रजिस्टर;

(घ) अतिकालिक रजिस्टर;

(ङ) जुर्माने का रजिस्टर;

(च) अग्रिम रजिस्टर।

(iv) प्रत्येक ठेकेदार अधिनियम और नियमों की संक्षिप्ति अंग्रेजी और हिंदी मे और कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा में रखेगा।

(v) सभी रजिस्टर और अन्य अभिलेख उनमें की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कैलेण्डर वर्षों की अवधि के लिये मूल रूप से परिरक्षित रखे जायेंगे। अधिनियम या नियमों के अधीन रखे गये रजिस्टर और अभिलेख, मांग किये जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष पेश किये जायेंगे।

XIII. सूचनाएं

मजदूरी की दरें, कार्य घंटे, मजदूरी की अवधिया, मजदूरी संदाय की तारीख में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों के नाम और पते और असंदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दर्शित करने वाली सूचनायें, अंग्रेजी और हिंदी में और कर्मकारों की बहु-संख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रदर्शित की जायेंगी।

XIV. विवरणियां

प्रत्येक ठेकेदार अर्द्ध-वार्षिक विवरणियां प्ररूप 24 में (दो प्रतियों में) अनुज्ञापन अधिकारी को भेजेगा और प्रत्येक प्रधान नियोजक वार्षिक विवरण प्ररूप 25 में (दो प्रतियों में) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेजेगा ।

टिप्पण :—अर्धवार्षिक से प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी से प्रथम जुलाई तक की अवधि अभिप्रेत है ।

अर्ध-वार्षिक विवरण अर्द्ध-वार्षिकी की समाप्ति के पश्चात् 30 दिन के अपश्चात् और वार्षिक विवरण, जिसके संबंध में वे हों उसके अंत के पश्चात् आने वाली 15 फरवरी के अपश्चात् पहुंच जायें ।

XV. शक्तियां

बोर्ड, समिति, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी को किसी संविद श्रम के संबंध में किसी प्रधान नियोजक या ठेकेदार से लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय कोई सूचना या आंकड़े मांगने की शक्ति होगी ।

XVI. अपराध के लिए शास्तियां

(i) जो कोई किसी निरीक्षक को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचायेगा, या अधिनियम के अधीन कोई निरीक्षक, का परीक्षा जांच या अन्वेषण करने में निरीक्षक को युक्तियुक्त सुविधा देने से इंकार या उसकी जानबूझ कर उपेक्षा करेगा, वह कारावास, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा । यही दण्ड ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो इस अधिनियम के अधीन रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य अपेक्षित दस्तावेज को निरीक्षक के सामने रखने से जानबूझकर इंकार करेगा या उसके समक्ष उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षित किये जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण है कि निवारण की संभावना है ।

(ii) जो कोई इस अधिनियम या नियमों के किसी ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करेगा जो संविद श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करता है या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा, और चालू रहने वाला उल्लंघन की दशा में ऐसे एक हजार रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम उल्लंघन के लिये दोष-सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रतिदिन के लिये, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, होगा ।

(iii) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इन नियमों के किन्ही ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करेगा जिनके लिये अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं की गई है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

XVII. कम्पनियों द्वारा अपराध

यदि इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो वह कम्पनी और कम्पनी के संचालन के लिये उसका भारसाधक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हरएक व्यक्ति भी इस अधिनियम और नियमों के अधीन कार्रवाई किये जाने के दायित्व के अधीन होगा ।

XVIII. निरीक्षक की शक्तियां

अधिनियम के अधीन निरीक्षक—

(क) ऐसे सहायकों के साथ जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख या किन्हीं सूचनाओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिये सभी युक्तियुक्त घन्टों में ऐसे किसी परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां संविद श्रमिक नियोजित है और निरीक्षण के लिये उसका पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा,

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिसे वह ऐसे किसी परिसर या स्थान में पाये और जिसके में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह उसमें नियोजित कोई कर्मकार है,

(ग) काम बांटने वाले किसी व्यक्ति से और किसी भी कर्मकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों के, जिन्हें या जिसके लिये काम बांटा जाता है या जिनसे काम प्राप्त होता है, नामों और पतों के संबंध में तथा काम के लिये किये जाने वाले संदायों के संबंध में ऐसी जानकारी दें जिसका देना उसकी शक्ति में हो,

(घ) ऐसे अभिलेख या सूचनायें जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के संबंध में संगत समझे अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा,

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी सरकार द्वारा विहित की जायें ।

ह० हपठ्नीय,
अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 30th December, 1972

No. 4/6/72-AIS(IV).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968 or who had joined any pre-Commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date for the purpose of filling vacancies reserved for them in the Indian Forest Service are published for general information in pursuance of the provision contained in rule 7(A) of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966. The provisions of the aforesaid rule cease to be in force on and from the 29th January, 1974, unless extended by Government.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Re-Organisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix. II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these rules, the following categories of emeregency Commissioned and Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962, but before the 10th January 1968, or who had joined any pre-Commission training before the later date but who were commissioned on or after that date, will be eligible to appear at this examination,—

(i) officers who have been released during 1971 and 1972 prior to the date of this Notification or are due to be released thereafter till the end of 1973—

(ii) officers mentioned in Rule 9 to the extent and in-accordance with the provisions of that rule.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, 'release' means :

(i) release as per the scheduled year of release,

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service from the Armed Forces after a spell of service. and *not* during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct. or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years as the case may be as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person shall be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertaking who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India. or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Govermnent.

6. (a) A candidate must *not* have attained the age of 24 years on the 1st July of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person rom erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xv) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Shri Lanka (formerly known as ceylon).

(c) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the Portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof, imprisonment or detention for not less than six months under former Portuguese Administration, will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 25 years on 1-1-1972.

NOTE:—Candidates claiming age concession under rule 6(c) above will not be entitled to the age concessions allowed under rule 6(b) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1968.

8. A candidate must take the examinations held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

9. Notwithstanding anything contained in Rule 8—

(i) a candidate released during 1971 may take the examination to be held in 1973, as his second chance;

(ii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination may take the examination to be held in 1973, as his second chance;

(iii) a candidate invalid owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1972, after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination may take the examination to be held in 1973, as his first chance;

(iv) an EC/SSC Officer who joined the pre-commission training in the Armed Forces before 10-1-68 but was commissioned on or after 10-1-68 may take the examination to be held in 1973, subject to the conditions indicated below :—

(a) as his first chance, if released during 1971 or 1972.

(b) as his first chance, if invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination.

(c) as his second chance, if released during 1970.

NOTE I.—The provisions contained in clause (ii) and clause (iv)(b) above will not apply to candidates who were due for release in 1970.

NOTE II.—The provision contained in clause (iii) above will not apply to candidates who were due for release in 1972.

NOTE III.—Candidates who in terms of the provisions of this rule are eligible to take their second chance in 1974, may avail of the same, if the provisions of the Rules referred to in rule 1 of these Rules are extended by Government beyond the 28th January 1974.

10. A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects namely, Botany, Chemistry, Geology, Physics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture, or in Engineering of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix 1-A subject to the condition stipulated therein.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such [illegible] tion may also apply provided the [illegible] is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

11. A candidate serving in the armed forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. *A candidate who is himself the Officer Commanding his Unit must submit his application through his* next superior officer.

All other candidates in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily-rated employees, must obtain prior permission of the head of the Department to appear for the examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination may, in addition to rendering himself liable to a criminal prosecution :—

(a) be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under the Government.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate Rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

17. A candidate who, on the results of the written part of the examination, qualifies for the *Viva Voce* will be separately asked by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) to communicate to them the order of preferences in which he would like to be considered for allotment to various States.

18. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

19. If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

20. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service.

Attention is particularly invited to the condition of medical fitness involving a walking test of 25 Kilometres in 4 hours.

23. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

24. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

25. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

M. R. BHARDWAJ
Under Secretary

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (*vide* Rule 10)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutions established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The University of Sind.

UNIVERSITIES IN BANGLADESH

The Dacca University.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (vide Rule 10).

*1. French-Examination "Propedeutique".

*2. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

*3. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

*4. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student".

5. Associateship or Fellowship of the Indian Institute of Science, Bangalore.

6. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.

7. Sections A and B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India).

8. Hons. Diploma in Engineering of the Loughborough College, Leicestershire, provided that a candidate has passed the common preliminary examination or has been exempted therefrom.

*NOTE.—Qualifications 1 to 5 will not be acceptable unless the candidate has passed the examination with at least one of the subjects namely, Botany, Chemistry, Geology, Physics and Zoology.

APPENDIX II

Plan of the Examination

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in two subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 300 marks.

(b) *Viva voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 300 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The subjects of the written examination the time allowed and the maximum marks allotted to each subject, will be as follows :

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(*i*) General English	3 hours	150
(*ii*) General Knowledge	3 hours	150

3. The syllabus for the examination will be as in the attached Schedule; and the question papers for the written examination will be the same as for the corresponding subjects in the scheme of the regular Indian Forest Service Examination which will be held concurrently.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Credit will be given for orderly, effective, and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

(*Vide* para 3 of Appendix II)

PART A

The standard of papers will be such as may be expected of a Science/Engineering graduate of an Indian University.

(1) *General English*

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

(2) *General Knowledge*

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

PART B

Viva voce : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces The candidate will be asked questions on matters of general interest and his subjects of academic study, as also on his experience in the Armed Forces. The object of the *Viva voce* is an assessment of the suitability of the candidate for the Service by a Board of competent and unbiased observers.

2. The technique of the *Viva voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the mental qualities of the candidate, e.g., the intellectual curiosity, critical powers of observation and assimilation, balance of judgement, and alertness of mind; initiative, tact capacity for leadership; the ability for social cohesion; mental and physical energy and powers of practical application; integrity of character; and other qualities such as topographical sense, love for out-door life and the desire to explore unknown and out of way places.

APPENDIX III

(*Vide* Rule 25)

The Appendix briefly describes the conditions of service as applicable to candidates recruited through the regular Indian Forest Service Examination. The seniority and pay of the candidates who may be appointed on the results of this examination would be regulated in accordance with the special orders issued by the Government in this behalf.

(a) Appointments will be made on probation for a period of three years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Forest Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

Senior Scale.—Rs. 700 (6th year or under)—40—1100—50/2—1250.

Conservator of Forests.—Rs. 1300—60—1600—100—1800.

Deputy Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists)—Rs. 1800—2000.

Chief Conservator of Forests.—Rs. 2000—125—2250.

Deputy Inspector General of Forests—Rs. 1800—2000 (with special pay of Rs. 300).

Inspector General of Forests and ex-officio Additional Secretary to the Government of India—Rs. 3,000 (fixed).

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the Junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) Provident Fund.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) Leave.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955.

(i) Medical Attendance.—Officers of the Indian Forest Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) Retirement Benefits.—Officers of the Indian Forest Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(Vide Rule 22)

(These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service).

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2 Walking test.—The candidates will be required to qualify in walking test of 25 Kilometers to be completed in 4 hours. The arrangement for conducting this test will be made by the Inspector General of Forests, Government of India so as to synchronise with the sittings of the Medical Board.

3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian, (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) The minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
163 cms . . .	84 cms	5 cms (For men)
150 cms . . .	79 cms	5 cms (For women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

4. The candidates height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lie in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements franctions of less than half centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

7. The candidates eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) General.—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structure of such a sort as to render, or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acuity. The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected Vision)	worse eye	Better eye (Corrected Vision)	worse eye
6/6	6/12	J.I	J.II
6/9	6/9		

Note :—

(1) Fundus Examination.—Wherever possible fundus examinations will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

(2) Colour Vision.—(i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Grade of Colour Perception
1. Distance between the lamp and candidate	4·9 metres
2 Size of aperture . . .	1·3 mm.
3. Time of exposure	5 sec.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates shown, in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the tests, both the tests should be employed.

(3) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(4) *Night Blindness.*—Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night-blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statement should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(5) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma, unless complicated, shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—As the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

8. *Blood Pressure.*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitment. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

9. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

10. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive

disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1. Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
2. Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
3. Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(*i*) One ear normal other ear perforation of tympanic membrano present—Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him teporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(*ii*) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
	(*iii*) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
4. Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(*i*) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
	(*ii*) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
5. Persistently discharging ear-operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
6. Chronic inflamatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(*i*) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
	(*ii*) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
7. Chronic inflamatory conditions of tonsils and / or Larynx.	(*i*) Chronic inflamatory conditions of tonsils and/ or Larynx—Fit.
	(*ii*) Hoarseness of voice of servere degree if present then—Temporarily unfit.
8. Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(*i*) Benign tumours—Temporarily unfit.
	(*ii*) Malignant Tumours—Unfit.
9. Otosclerosis.	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
10. Congenital defects of ear, nose or throat.	(*i*) If not interfering with functions—Fit.
	(*ii*) Stuttering of severe degree—Unfit.
11. Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any invertcrate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payment in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum*. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(*a*) *Candidate's statement and declaration* :

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name, in full (in block letters)..............
....

2. State your age and birth place........................

2. (*a*) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower, Answer 'Yes' or 'No', and if the answer is 'Yes', state the name of the race.

3. (*a*) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, Appendicities ? ....

Or

(*b*) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? ....

4. When were you last vaccinated ? ....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause ?..............

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? ....

8. If answer to the above is Yes, please state what Service/Services you were examined for ?. ....
....

9. Who was the examining authority ?.................

10. When and where was the Medical Board held ?......
....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known...........

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Signed in my presence.

Candidate's signature

Signature of the Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, for forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(*b*) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1. General development : Good............Fair........ Poor ....

Nutrition : Thin............Average......Obese..
Height (Without shoes)................weight.............
Best Weight.............When ? ....Any recent change in weight ?.............Temperature.............
Girth of Chest:—

(1) (After full inspiration)...........

(2) (After full expiration)...........

2. Skin : Any obvious disease ....

3. Eyes :

(1) Any disease ....

(2) Night blindness ....

(3) Defect in colour vision ....

(4) Field of vision ....

(5) Visual acuity...................................

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph-Cyl.Axis.
Distant . . .	R.E.		
	L.E.		
Near vision	R.E.		
	L.E.		
Hypermetropia (manifest) . .	R.E.		
	L.E.		

4. Ears : Inspection....Hearing : Right Ear...........
...............Left Ear....................

5. Glands ....Thyriod ....

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?........ .. If yes, explain fully.. ....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lessions ?.......... ... ...

Rate Standing ....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping....

(b) Blood Pressure : Systolic .. .. .Distolic

9. Abdomen : Girth ... .Tenderness . .... .

....Hernia .. ..

(a) Palpable : Liver .. ..Spleen ....

Kidneys ....Tumours ....

(b) Haemorrhoids ... .Fistula ....

10. Nervous System : Indication of nervous of mental disability ....

11. Loco-Motor System : Any Abnormality ....

12. Ganito Urinary System : Any evidence of Hydrocele Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance ....

(b) Sp. Gr. ....

(c) Albumen...... ....

(d) Sugar ....

(e) Casts .. ..

(f) Cells.... ....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

NOTE.—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* para 10 of regulations relating to Physical Examination of Candidates.

15. Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Forest Service?

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(*i*) Fit

(*ii*) Unfit on account of . ...

(*iii*) Temporarily unfit on account of............ .....

Place ....

Date ....

Chairman ....

Member ....

Member ....

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th September 1972

No. 7(15)/71-*IC*.—Para 3 of the "10% Central outright Grant of Subsidy Scheme 1971" published in Part 1, Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary on 26-8-1971 (S. No. 127) as amended under notification of even No. dated 25th February, 1972, Para 4, Para 7 and Para 8 as amended under Notification of even No. dated 5th June 1972, of the Scheme, stand amended as under :

"3. *Applicability* : The Scheme is applicable to industrial units in selected districts/areas' as defined herein."

"4. *Definitions* : (a) 'Industrial unit' means any industrial undertaking and suitable servicing unit, other than that run departmentally by Government;

(b) 'new industrial unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 1st October, 1970:—

(c) 'existing industrial unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were taken prior to 1st October, 1970;

(d) 'substantial expansion' means increase in the value of fixed capital investment of an industrial unit by not less than 25% for the purpose of expansion of capacity, modernisation, etc.;

(e) 'effective steps' mean one or more of the following steps :

(i) that 60% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up;

(ii) that a substantial part of the factory building has been constructed;

(iii) that a firm order has been placed for a substantial part of the plant and machinery required for the industrial unit.

(f) 'fixed capital investment' means investment in land, building and plant and machinery.

Total fixed capital investment will be assessed as follows :

(1) *Land* : The actual price paid for the land to the extent needed for the purposes of the plant. Charges for the leased land will not be taken into account.

(2) *Building* : Same as in the case of land. Rent of a hired building will not be taken into account.

(3) *Plant and Machinery* :

(i) In calculating the value of plant and machinery, the cost of plant and machinery as elected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, transport charges, demurrage, insurance premium, etc., will also be taken into account.

(ii) The amount invested on goods carriers to the extent they are actually utilised for transport of raw materials and marketing of the finished products, will be taken into account.

(iii) Working capital including raw materials and other consumable stores will be excluded for computing the value of plant and machinery.

(g) 'selected district/area' means a district/area selected by the Planning Commission in consultation with the Ministries concerned to qualify for the outright grant or subsidy and included in the Schedule hereof.

(h) '10% Central Outright Grant or Subsidy' means one-tenth of the total fixed capital investment, or additional total fixed capital investment as the case may be, as assessed by the Committee referred to in paragraph 6, or a sum of Rs. 5 lakhs, whichever is less."

"7. In respect of a new industrial unit set up without assistance from the financial institutions or the State Government/Union Territory Administration concerned, the 10% outright grant or subsidy will be disbursed to the unit by the State Government/Union Territory Administration concerned *at the time the unit goes into production* & thereafter claimed by the State Government/Union Territory Administration concerned from the Ministry of Industrial Development. Similarly, in respect of substantial expansion by an existing

industrial unit without assistance from the financial institutions or the State Government/Union Territory Administration concerned, the 10% outright grant or subsidy will be disbursed to the unit by the State Government/Union Territory Administration concerned at the time substantial expansion has been effected and the unit has gone into production and thereafter claimed by the State Government/Union Territory Administration concerned from the Central Ministry of Industrial Development."

8. "In respect of an industrial unit to be assisted by the State Government/Union Territory Administration concerned, the 10% subsidy will be disbursed to the unit by the State Government/Union Territory Administration concerned, in as many instalments as the loan is disbursed by the State Government/Union Territory Administration concerned and simultaneously claimed from the Central Ministry of Industrial Development. In such cases, the contract to be drawn up between the State Government/Union Territory Administration and the unit concerned, may cover mortgage/pledge/hypothecation of the assets up to the amount of loans to be advanced by the State Government/Union Territory Administration concerned and the 10% grant of subsidy. In respect of a new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit, to be assisted by a financial institution, the 10% subsidy will be disbursed to the unit by the *financial institution* in as many instalments as the loan is disbursed by the financial institution and simultaneously claimed from the Ministry of Industrial Development. In such cases, the contract to be drawn up between the financial institution and the unit concerned may cover mortgage/pledge/hypothecation of the assets of the unit up to the amount of the loan to be advanced by the financial institution concerned and the 10% subsidy.

Provided, however, if there is any delay in the financial institution concerned getting reimbursement of the subsidy or instalment thereof from the Central Government, the financial institution shall be reimbursed by the Central Government of the interest chargeable from the industrial concern for the period between the relevant date of disbursal of the loan by the financial institution to the industrial concern and the date of corresponding reimbursement thereof of the instalment of the element of subsidy to the financial institution by the Central Government."

ABID HUSSAIN, Jt. Secy

New Delhi, the 7th December 1972

RESOLUTION

No. *LE*(1)-13(9)/72.—In supersession of the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Resolution No. LEI(A)-16(1)/67, dated the 12th October, 1970, 24th November, 1970, 12th February, 1971 and this Ministry's Resolution No. LE(1)-16(1)/67, dated 4th January, 1972 and 23rd August, 1972, the Government of India have decided to reconstitute the Advisory Committee for the Development of Medical Instruments, Equipment and Appliances.

2. The functions of the Advisory Committee are :—

(i) To keep abreast of developments in the manufacture of medical and surgical instruments, equipment and appliances and allied items.

(ii) to suggest from time to time new items that should be taken up for manufacture, and

(iii) to advise Government on matters concerning the development of this industry in all its aspects.

3. The Advisory Committee will exist of :—

Chairman

1. The Director General, Health Service, Nirman Bhavan, New Delhi.

Member and Alternate Chairman

2. Shri K. N. Ramaswamy, Industrial Adviser (Engineering), Directorate General Technical Development, New Delhi.

Members

3. Colonel N. N. Bery, Honorary Dental Adviser, Ministry of Health, Family Planning Works, Housing and Urban Development, 13, Curzon Road, New Delhi-1.
4. Dr. P. P. Goel, Safdarjung Hospital, New Delhi.
5. Brigadier B. A. Rao, Deputy Director General (Equipment and Stores), Directorate General of Armed Forces Medical Services, New Delhi.
6. Director, Health, Railway Board, New Delhi.
7. Dr. Gopi Nath, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
8. Shri S. Raghaviah, Director, Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan New Delhi.

Member-Secretary

9. Shri P. V. Mammen, Assistant Development Officer, Directorate General of (Instruments Technical Development, Directorate), New Delhi.

Members

10. Shri V. V. S. Murthy, Deputy Superintendent (Quality Control), Surgical Instruments Plant, Nandambakum, Madras-16.
11. Shri A. B. Rao, Director (Consumer Products) Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
12. Shri A. K. Roy, Works Manager, X-Ray Division of M/s. Siemens India Ltd., 134 A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18.
13. Shri T. P. G. Nambiar, C/o M/s. British Physical Laboratories India Pvt. Ltd., 28, K. H. Road, Bangalore-27.
14. Shri D. V. S. Raju, Managing Director, Electronics and Instruments Ltd., Sanatnagar, Hyderabad (Andhra Pradesh).
15. Shri K. D. Kehr, C/o M/s. Kehr Surgical and Allied Products Private Limited, C-34, Panki Industrial Estate, Kanpur (U.P.).
16. Representative of Director General, Supplies & Disposals, New Delhi.

4. The terms of the Advisory Committee will last for two years in the first instance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

C. MALLIKARJUNAN, Under Secy.

New Delhi, the 8th December 1972

RESOLUTION

No. PEC-24(2)/72.—In pursuance of paragraph 2 of the Government of India Resolution No. Pr.C 28(1)/59, dated the 7th April, 1961, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 8th April, 1961, the Central Government Industrial Undertakings for the purpose of the Presidential Awards for Public Sector Industries for their performance during the year 1971-72, are notified as under :—

Ministry of Industrial Development

1. Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore.
2. Hindustan Cables Ltd., P.O. Hindustan Cables (West Bengal).
3. Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.
4. Bharat Heavy Electricals Ltd., New Delhi.
5. National Instruments Ltd., Calcutta.
6. National Newsprint & Paper Mills Ltd., Nepanagar.
7. Hindustan Salts Ltd., Jaipur.
8. Sambhar Salts Ltd., Jaipur.
9. Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd., Ootacamund.
10. Instrumentation Ltd., Kota (Rajasthan).
11. Machine Tool Corporation of India Ltd., Ajmer.
12. Cement Corporation of India Ltd., New Delhi.
13. Tannery & Footwear Corporation of India Ltd., Kanpur.

Ministry of Steel & Mines (Deptt. of Steel)

14. Hindustan Steel Ltd., Ranchi.

15. Tungabhadra Steel Products Ltd., P.O. Tungabhadra Dam, Distt. Bellary (Mysore).
16. Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi.
17. Mining & Allied Machinery Corporation Ltd. Durgapur.
18. Triveni Structurals Ltd., Naini, Allahabad.
19. Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd., Visakhapatnam.

Ministry of Steel & Mines (Deptt. of Mines & Metals)

20. National Coal Development Corporation Ltd., Ranchi.
21. National Mineral Development Corporation Ltd., Hyderabad.
22. Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli (Tamil Nadu).
23. Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur.
24. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur.
25. Hindustan Copper Ltd., Khetri (Rajasthan).

Department of Communications

26. Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore.
27. Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

Ministry of Petroleum and Chemicals

28. Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi.
29. Cochin Refineries Ltd., Ernakulam (Kerala).
30. Oil & Natural Gas Commission, Dehra Dun.
31. Madras Refineries Ltd., Madras.
32. Lubrizol India Ltd., Bombay.
33. Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri, Poona.
34. Hindustan Insecticides Ltd., New Delhi.
35. Fertilizer Corporation of India Ltd., New Delhi.
36. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., New Delhi.
37. Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Alwaye (Kerala).
38. Madras Fertilizers Ltd., Madras.
39. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., Dehri-on-Sone.
40. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Rasayani.

Department of Atomic Energy

41. Indian Rare Earths Ltd., Bombay.
42. Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad.
43. Uranium Corporation of India Ltd., Jaduguda.

Ministry of Shipping & Transport

44. Hindustan Shipyard Ltd, Visakhapatnam.

Ministry of Health and Family Planning

45. Hindustan Latex Ltd., New Delhi.

Ministry of Works, Housing & Urban Development

46. Hindustan Housing Factory Ltd., New Delhi.
47. National Buildings Construction Corporation Ltd., New Delhi. (Mechanised Brick Plant).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

(i) All the Members of the Committee for Presidential Awards for Public Sector Industries.

(ii) All the Public Sector Undertakings concerned.

(iii) All the Ministries/Departments and Industries Sections concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

New Delhi, the 16th December 1972

RESOLUTION

No. 5-14/72-*Cem.*—In partial modification of the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) Resolution No. 5-8/69-Cem. dated the 28th March, 1970, the Government of India have decided to reconstitute the Panel on Cement Industry. The tenure of the new Panel will be two years from the date of this Resolution and its Composition will be as follows :—

Chairman

1. Dr. A. Seetharamiah, Director General, Technical Development, New Delhi.

Members

2. Shri Ranvir M. Khatau, The Associated Cement Co., Ltd., Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Bombay-1.
3. Shri L. Swaroop, Dalmia Cement (Bharat) Ltd., 4, Scindia House, New Delhi.
4. Shri S. S. Ramachandra Raja, Madras Cement Ltd., "Ramamandiram", Rajapalaiyam (Tamil Nadu).
5. Shri S. S. Kothari, M/s Jaipur Udyog Ltd., Swaimadhopur, (Rajasthan).
6. Shri S. P. Sinha, M/s. Kalyanpur Lime & Cement Works Ltd., Banjari (Bihar).
7. Shri N. Srinivasan, M/s. India Cements Ltd., 175/1. Mount Road, Madras.
8. Dr. B. C. Jain, Satna Cement Works, Industry House, 15-A, Church Gate Reclamation, Bombay-1.
9. Shri V. M. Rao, Vice-President, Cement Machinery Manufacturers' Association, C/o The K. C. P. Ltd., 38, Mount Road, Madras-6.
10. Shri J. P. Mukherjee, Walchandnagar, Industries Ltd., Walchandnagar, Poona.
11. Shri K. V. Talcherkar, Holtec Engineers (Pvt.) Ltd., Bank of Bihar Building, P.B. 57, Judges Court Road, Patna-1.
12. Managing Director, Cement Corporation of India Ltd., 'National Herald Building', 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1.
13. Shri J. N. Tiwari, Chairman-*cum*-managing Director, The U.P. State Cement Corporation Ltd., Churk, Mirzapur.
14. Managing Director, M/s. Tamilnadu Cements, Alangulam, (Tamil Nadu).
15. Dr. H. C. Visveswaraya, Director, Cement Research Institute of India, New Delhi-49.
16. Shri Rabinder Singh Director, National Building Organisations, New Delhi.
17. Shri C. A. Taneja, Central Building Research Institute, Roorkee (U.P.).
18. Deputy Secretary (in-charge of Cement Industry), Ministry of Industrial Development, New Delhi.

Member-Secretary

19. Shri N. G. Basak, Development Officer (Cement), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

ORDER

ORDERED *that a copy of the Resolution be communicated* to all concerned and that it be also published in the Gazette of India for general information

S. K. RAO, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 11th December 1972

RESOLUTION

No. DST/8/1/72-JRC.—In pursuance of the decision to i [illegible] and procedural set up of the Botan[illegible]d Zoological Survey of India, the [illegible]ve decided to set up a Joint Reviewing Committee consisting of the non-officials and officials. The Composition of the Committee will be as follows :—

Chairman

1. Prof. T. S Sadasivan, Director. Centre for Advance Studies in Botany, University of Madras, Madras.

Members

1. Dr. D. D. Pant, Botany Department, Allahabad University, Allahabad.

2. Dr. P. N. Mehra, Professor of Botany, Punjab University, Chandigarh.

3. Prof. M. R. N. Prasad, Zoology Department, Delhi University, Delhi.

4. Prof. Sibtosh Mukherji, Jawahar Lal Nehru University, New Delhi.

5. Shri S. Santhanam, Dy. Financial Adviser, Ministry of Finance, New Delhi

Member Secretary

6. Shri K. M. Agarwala, Officer on Special Duty, Department of Science & Technology, New Delhi.

2. The terms of reference of the Committee will be :—

(i) to redefine the objectives of the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India in the light of present and future needs of the country and to review the organisational and functional set up of the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India and make recommendations for their effective and purposeful functioning.

(ii) to study the administrative and financial set up and procedures and suggest modifications including delegation of powers to improve the efficiency in output for obtaining optimum results.

(iii) to recommend (a) the areas of research in Botany & Zoology and allied disciplines that should be carried out in the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India having particular regard to the extent of coordination that should exist between these two Surveys other relevant institutions, (b) the magnitude of investment necessary to achieve the desired results within a well-defined time frame, and (c) the priorities among the tasks needed to be performed.

3. The Committee will be free to consult any individual or organisation that it may deem desirable to consult.

4. The Committee will meet as often as considered necessary. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places in India as considered necessary for a proper and comprehensive study of various aspects of the Botanical & Zoological Survey of India.

5. The Committee will evolve its own procedure.

6. The non-official members of the Joint Reviewing Committee will be paid TA/DA for attending meetings etc. of the Committee at the prescribed rates in terms of Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 6(26)/EIV/59, dated 5th September, 1960 as amended from time to time.

7. The Committee will submit its report as soon as possible but not later than 4 months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and all the Members of the Joint Reviewing Committee, the Prime Ministers Secretariat and all Ministries.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. J. KIDWAI, Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 11th December 1972

RESOLUTION

No. 2-62/72-*Ply.*—Government of India are pleased to constitute a Committee on Socio-Economic Studies on Family Planning. The composition of the Committee shall be as under :—

Chairman

1. Professor V. K. R. V. Rao.

Members

2. Dr. S. N. Ranade, Delhi School of Social Work.

3. Dr. H. N. Murthy, Mental Health Institute, Bangalore.

4. Dr. S. N. Agarwala, Director, International Institute of Population Studies, Bombay.

5. Prof. V. Ramalingaswami, Director All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

6. Dr. A. Ghosh, Department of Applied Economics, Jadavpur University, Calcutta.

7. Shri V. K. Ramabhadran, Deputy Registrar General, New Delhi.

8. Commissioner, Family Planning & M.C.H. Ministry of Health and Family Planning.

9. Director (Planning), Department of Family Planning, New Delhi.

Member Secretary

10. Director, National Institute of Family Planning, New Delhi.

2. The Committee shall have power to co-operate additional members and also invite specialists for *ad-hoc* purpose.

3. The terms of reference of the Committee shall be as follows :—

1. To advise and coordinate research on the economic sociological, educational, psychological, communicational and demographic aspects of population growth and family planning.

2. To review the progress of the research work done in these fields.

3. To examine and make recommendations on research proposals in these fields to the Ministry of Health and Family Planning.

4. To review the progress made by research centres dealing with population studies which receive financial assistance from the Ministry of Health and Family Planning.

5. To recommend for sanction in grants to institutions and individuals for research work in the fields mentioned above, including continuation of work, *ad hoc* studies, specific projects and fellowships within the limits of the budget allotted for the purpose.

6. To suggest other measures for development of research in these fields.

4. The life of the Committee shall be two years from the date of its constitution.

5. Non-official members of the Committee shall be entitled to the grant of T.A. and D.A. for attending the meetings of the Committee at the rate admissible to an Officer of the highest grade in class I of the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw T.A. & D.A. as admissible to them from the same source from which they get their pay.

6. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Major Health "30-A Family Planning. C Family Planning—c.6 Training and Research c-6(2) Research. The expenditure is to be booked as 'Plan' expenditure.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. MADHOK, Addl. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 14th December 1972

RESOLUTION

F. No. 20-2/71-*My.Plg.*—Government have reviewed the progress made by the Board of Agricultural Machinery and Implements constituted *vide* this Ministry's Resolution No. 5-1/67-My.Plg., dated 11th July, 1969 and 24th August, 1969

and have decided to reconstitute the Board with the following membership :—

Chairman

1. Minister of State in the Ministry of Agriculture

Vice-Chairman

2. Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture.

Members

3. Shri Jitendra Prasad, Member of Parliament (Lok Sabha).
4. Shri Arvind Ganesh Kulkarni, Member of Parliament (Rajya Sabha).
5. Joint Secretary/Addl. Secretary in charge of Machinery, Ministry of Agriculture.
6. Joint Secretary, Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs).
7. Joint Secretary, Ministry of Industrial Development (Deptt. of Industrial Development).
8. Joint Secretary, Ministry of Agriculture (Deptt. of Cooperation).
9. Secretary, National Coop. Development Corporation.
10. Joint Director Agriculture (Agricultural Engineering), Mysore State, Hebbal.
11. Agricultural Engineer-*cum*-Secretary, Rajasthan Engineering Board, Jaipur.
12. State Agricultural Engineer, Government of Kerala, Trivandrum.
13. Managing Director, Bihar State Agro-Ind. Dev. Corporation Ltd., Patna.
14. Managing Director, U.P. State Agro-Industrial Corporation, Lucknow.
15. Managing Director, Andhra Pradesh Agro-Ind. Corporation, Hyderabad.
16. Managing Director, Assam Agro-Ind. Corporation Ltd., Gauhati.
17. Managing Director, Tamil Nadu Agro-Ind. Corporation, Madras.
18. Managing Director, Maharashtra Agro-Ind. Dev Corporation Ltd., Bombay.
19. Managing Director, Punjab Agro-Ind. Corporation Ltd., Chandigarh.
20. Managing Director, Haryana Agro-Ind. Corporation Ltd., Chandigarh.
21. Director (Implements), Ministry of Agriculture, New Delhi.
22. Joint Commissioner (Machinery), Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture), New Delhi.
23. Shri B. R. Sule Vice-Chairman, International Tractor Co. of India Ltd., Bombay-1.
24. Shri V. T. Velu, Managing Director, VST Tillers Tractors Ltd., Bangalore.
25. Shri P. S. Banerji, General Manager, Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.
26. Shri V. C. Kapoor, M/s Cossul & Co., Kanpur.
27. Shri R. Raikhy, M/s Raikhy Enterprises, Ludhiana.
28. Managing Director, State Farms Corporation, New Delhi.
29. Deputy Director-General, (Soils Agronomy Engg.), I.C.A.R., New Delhi.

Member Secretary

30. Deputy Secretary in charge of Machinery, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture).

2. The functions of the Board shall be :—

(i) to review programmes of manufacture, servicing and maintenance of power tilers, tractors, agricultural implements, etc.;

(ii) to review from time to time availability and distribution and arrangements of the above items;

(iii) to review the credit requirements for and as also popularisation of the above equipment; and

(iv) any other matter concerning the industry engaged in the manufacture and distribution of the above machinery and implements.

3. The duration of Membership will be as follows :—

(i) Members other than those who are Members by virtue of the office or appointment held by them shall hold office for a period of three years.

(ii) A member shall cease to hold office on the happening of any of the following events :

If he shall die, resign, become of unsound mind, become insolvent or be convicted by a court of law on a criminal offence involving moral turpitude.

(iii) Any vacancy in the membership caused by any of the reasons mentioned above shall be filled up in such manner as the Union Department of Agriculture may deem proper. All such appointments shall be for the unexpired portion of the tenure referred to in (i) above.

4. The Board may meet as and when considered necessary but shall meet at least once in a year.

5. The Secretarial assistance for the activities of the Board will be provided by the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Agricultural Secretaries of all States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Raj Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies) and all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

I. J. NAIDU, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 29th November 1972

No. F. 16-24/71-*U*.2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (XIX of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the members of the teaching and non-teaching staff of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

*No. F.*16-24/71-*U*.2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the following public institution to the Schedule to the said Act, namely :—

"The Jawaharlal Nehru University, New Delhi."

S. M. S. CHARI, Jt. Educational Adviser

(Department of Social Welfare)

New Delhi, the 12th December 1972

RESOLUTION

*No. F.*22/23/71-*SW*-5.—In modification of this Department's earlier Resolution No. F.22/22/69-SW-5, dated the 2nd December, 1970 constituting the Central Prohibition Committee, the Government of India have now decided to reconstitute this Committee with the Minister in charge of Social Welfare as Chairman and the Deputy Minister/Minister of State in charge of Social Welfare as Vice-Chairman. The composition of the Committee shall be as follows :

Chairman

1. Minister in charge of Social Welfare.

Vice-Chairman

2. Deputy Minister in charge of Social Welfare.

Members

3. Minister in charge of Prohibition, Andhra Pradesh, Hyderabad.
4. Minister in charge of Prohibition, Assam, Shillong.
5. Minister in charge of Prohibition, Bihar, Patna.
6. Minister in charge of Prohibition, Gujarat, Gandhinagar.
7. Minister in charge of Prohibition, Haryana, Chandigarh.
8. Minister in charge of Prohibition, Jammu & Kashmir, Srinagar.
9. Minister in charge of Prohibition, Kerala, Trivandrum.
10. Minister in charge of Prohibition, Madhya Pradesh, Bhopal.
11. Minister in charge of Prohibition, Maharashtra, Bombay.
12. Minister in charge of Prohibition, Mysore, Bangalore.
13. Minister in charge of Prohibition, Nagaland, Kohima.
14. Minister in charge of Prohibition, Orissa, Bhubaneshwar.
15. Minister in charge of Prohibition, Punjab, Chandigarh.
16. Minister in charge of Prohibition, Rajasthan, Jaipur.
17. Minister in charge of Prohibition, Tamil Nadu, Madras.
18. Minister in charge of Prohibition, Uttar Pradesh, Lucknow.
19. Minister in charge of Prohibition, West Bengal, Calcutta.
20. Minister in charge of Prohibition, Himachal Pradesh, Simla.

21. }
22. } Three nominees from Union Territories by rotation.
23. }

Non-official Members

24. Dr. Sushila Nayyar, President, All India Prohibition Council.
25. Shri Justice Tek Chand.
26. Shri P. D. Patwari, Vice President Nashabandi Mandal, Gujarat.
27. Shri Jiwan Lal Jairamdas, Secretary, Harijan Sevak Sangh, Delhi-9.
28. Shri A. Kayaraman, President, Tamil Nadu Depressed Classes League, Ranipet, North Arcot District, Tamil Nadu.

Functions

(i) To undertake periodical reviews of prohibition policy and progress of prohibition in different States;

(ii) To study difficulties that may be encountered by the States in implementing the policy of prohibition and to recommend suitable measures to overcome such difficulties;

(iii) To suggest ways and means to intensify propaganda in favour of prohibition both in areas already coming under prohibition and areas which do not;

(iv) To promote scientific research and statistical studies in respect of the economic and social implications of prohibition and alcoholism in particular in respect of subjects such as:

(v) I. alternative economic uses of raw material now utilised in the production of alcoholic beverages and intoxicants;

II. rehabilitation of families whose existing avenues of employment may disappear consequent upon introduction of prohibition; and

(vi) To recommend suitable measures to encourage and assist official and non-official agencies devoted to:

I. Prohibition and temperance propaganda;

II. care and rehabilitation of alcoholic and drink addicts; and

III. scientific research in respect of problems associated with prohibition.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Committee; all the Ministries of the Government of India; the Planning Commission; the Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Secretariat; the Lok Sabha Secretariat; the Rajya Sabha Secretariat; the Department of Parliamentary Affairs; the All India Prohibition Council and the Chief Secretaries of all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 16th December 1972

No. S-16011/7/72-LW1(1).—In exercise of the powers conferred by Rule 79 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, an abstract of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 is hereby notified:

Abstract of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971.

I. *Extent of the Act*

The Act extents to the whole of India.

The Act does not take away the rights/benefits of any workmen who by terms of any agreement or contract or Standing Orders are enjoying or can obtain or are entitled to more favourable conditions of service or from entering into such agreements etc., entitling them to more favourable benefits than provided under the Act.

II. *To whom the Act applies*

The Act applies to every establishment in which 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as Contract Labour and to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding 12 months, 20 or more workmen.

The establishments in which intermittent or casual work is performed do not come within the purview of the Act. However, an establishment wherein work is performed for 120 days or more in the preceding 12 months or more than 60 days in a year on work of a seasonal character will not be deemed as carrying out the work of intermittent nature.

III. *Definitions*

(i) Appropriate Government means :—

(a) Central Government in relation to—

(a) any establishment pertaining to any industry carried on by or under the authority of the Central Government,

(b) any controlled industry which may be specified by the Central Government,

(c) any Railway,

(d) Cantonment Board,

(e) Major Port.

(f) Mine,

(g) Oilfield,

(h) any establishment of a banking, or insurance company.

(b) In relation to any other establishment the Government of the State in which the establishment is situated.

(ii) *Establishment* : Any office or department of the Government or local authority or any place where any industry, trade, business, manufacture or occupation is carried on.

(iii) *Principal Employer* : (a) In relation to any office or department of the Government or local authority, the head of the office or department or local authority or any other officer specified in this behalf by the Government or local authority. (b) In the case of a factory the owner or occupier of the factory and the manager appointed under the Factories Act and in the case of a mine the owner or agent of the mine and the manager of the mine. (c) In any other establishment the person who is responsible for supervision and control of the establishment.

(iv) "*Contractor*" : A person who undertakes to produce a given result for the establishment other than a mere supply of goods or articles of manufacture to such establishment through contract labour or who supplies contract labour for any work of the establishment. A contractor includes a sub-contractor.

(v) "*Contract Labour*" : A workman shall be deemed to be employed as 'contract labour' when he is hired for work in an establishment through a contractor with or without the knowledge of the principal employer.

(vi) "*Workman*" : Any person employed in or in connection with the work of any establishment to do any skilled, semi-skilled or un-skilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied.

A person employed mainly in a managerial or administrative capacity or employed in supervisory capacity and is drawing wages exceeding Rs. 500/- per month or exercising functions mainly of a managerial nature and an out-worker who performs any work on behalf of the principal employer in premises which are not under the control and management of the principal employer, will not be deemed as a workman within the purview of the Act.

IV. *Machinery for enforcement of the Act/Rules in Central sphere*

All Assistant Labour Commissioners (Central) have been appointed as Registering and Licensing Officers and all the Regional Labour Commissioners (Central), as Appellate Officers. All the Regional Labour Commissioners (Central), Assistant Labour Commissioners (Central), Labour Enforcement Officers (Central) and Junior Labour Inspectors, have been appointed as Inspectors.

V. *Advisory Board*

The appropriate Government shall constitute the Advisory Board to advise the Government on matters connected with the administration of the Act.

VI. *Registration*

Every principal employer of an establishment has to obtain a certificate of registration for his establishment, from the Registering Officer of the area in which his establishment is located, within the prescribed period fixed by the appropriate Government, on payment of the fees specified for the purpose. The certificate of registrations can be revoked with previous approval of the appropriate Government if it is found that the certificate has been obtained by misrepresentation or suppression of any material fact or if the registration has become useless or ineffective.

VII. *Effect of non-registration*

No principal employer of an establishment can employ contract labour if his establishment has not been registered within the period specified by the appropriate Government or after revokation of his registration.

VIII. *Prohibition of employment of contract labour*

The appropriate Government may after consultation with the Central Advisory Board or the State Advisory Board as the case may be prohibit by notification in the official Gazette employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment. Before issuing such notification the appropriate Government shall examine the conditions of work and benefits provided for the contract labour in that establishment and other relevant factors.

IX. *Licensing of Contractors*

1. With effect from such date as notified by the appropriate Government, no contractor to whom this Act applies shall undertake or execute any work through contract labour except under and in accordance with a licence issued in that behalf by the Licensing Officer.

2. Every contractor to whom the Act applies has to obtain a licence from the Licensing Officer of the area in which the establishment is located, within the period fixed by the appropriate Government by depositing Rs. 30/- per worker and on payment of the prescribed fee. The certificate of licence inter-alia contains the following information :

(1) that licence shall be non-transferable.

(2) that the maximum number of workmen that can be employed as contract labour in that establishment along with other particulars such as rates of wages payable, hours of work and other service conditions of the workmen.

(3) that in an establishment where 20 or more workmen are ordinarily employed as contract labour the contractor shall provide 2 rooms of reasonable dimensions for use as creches and supply toys, games, beddings and cots for the use of their children.

The license is valid for 12 months and on payment of prescribed fees it can be renewed and an application for renewal of licence should be made not less than thirty days before the date on which the licence issued expires. A licence can be revoked in case it has been obtained through misrepresentation, etc., or if the licensee has failed to comply with the conditions of the licence. An appeal can be filled on such orders by the aggrieved party within 30 days of the order.

X. *Welfare and health of contract labour*

It is the responsibility of the contractor to provide canteen, rest shelter, drinking water, latrines, urinals, washing facilities and first-aid boxes on the following scales, within the prescribed time limit shown against each of the welfare-health amenities :—

Welfare/Health Amenities	Conditions/Scales	Time limit
Canteen	Where employment of contract labour is likely to continue for 6 months and the number of contract labour employed is 100 or more, an adequate canteen has to be set up and run as specified in the Rules.	In case of existing establishments, within 60 days from the date the Rules come into force, i.e. 16-2-71 and within 60 days of the commencement of the employment of contract labour in case of new establishments.
Rest Room	Wherever employment of contract labour is likely to continue for 3 months or more and contract labour is required to halt at night, rest rooms are to be maintained in accordance with the Rules.	In case of existing establishments within 15 days from the date the rules come into force i.e. 10-2-71 and within 15 days of the commencement of the employment of contract labour in case of new establishment.
Drinking Water	Whole some drinking water shall be supplied at convenient places.	In the case of existing establishments, within 7 days of the commencement of 7 days of comencement of the

Welfare/Health amenities	Conditions/Scales	Time limit
		rules i.e. 10-2-71 and in case of new establishments, within 7 days of the commencement of the employment of contract labour.
Washing facilities	Adequate and suitable facilities for washing facilities be provided as detailed in the Rules.	Do.
Urinals and latrines.	1. Where females are employed at least one latrine for every 25 females.	Do.
	2. Where males are employed at least one latrine for every 25 males. Where the No. of males or females exceeds 100 it will be sufficient if there is one latrine for 25 males or females as the case may be up to the first 100 and one for every 50 thereafter.	Do.
First aid facilities	First-aid boxes at the rate of not less than one box for every 150 contract labour or part thereof should be maintained and shall be readily accessible during all working hours.	Do.

If the contractor fails to provide the above amenities within the time limit prescribed, then such amenities shall be provided by the principal employer within 60 days in the case of canteen, 15 days in the case of rest room, 7 days in respect of supply of drinking water, provision of latrines and urinals, washing and first-aid facilities of the expiry of the period during which time the contractor was required to provide them.

XI. *Payment of Wages*

(i) The contractor shall fix wage periods, not exceeding one month, in respect of which wages shall be paid.

(ii) Wages are to be paid before the expiry of the 7th day after the last day of the wage period concerned in an establishment where less than one thousand persons are employed and before the expiry of the tenth day where one thousand or more persons are employed.

(iii) On termination of employment of a worker due wages shall be paid to him before the expiry of second working day from the day of termination of his employment.

(iv) All payments will be made to workers directly or through other persons authorised by the workers for the purpose, the wages being paid in current coin or currency or in both and on a working day at the work premises during working hours on dates notified in advance.

(v) If the work is completed before the expiry of the wage period, final payment shall be made within 48 hours of the last working day.

(vi) The wages shall be paid to workers without any deduction except those authorised under the Payment of Wages Act, 1936.

(vii) Payment of wages will be made in the presence of an authorised representative of the principal employer at the place and time notified for the purpose.

XII. *Registers and Records*

(i) The principal employer shall maintain a register of contracts.

(ii) Every contractor shall maintain a register of persons employed by him and also issue an employment card to each worker within three days of his employment. On termination of employment, the contractor shall issue to the workmen a service certificate.

(iii) The contractor shall maintain the following registers in English or in Hindi :—

(a) Muster Roll ;

(b) Register of Wages;

(c) Register of Deductions;

(d) Register of Overtime;

(e) Register of fines;

(f) Register of advances.

(iv) Every contractor shall display an abstract of the Act and rules in English and Hindi and in the language spoken by the majority of workers.

(v) All registers and other records shall be preserved in original for a period of three calendar years from the date of last entry therein. The registers and records maintained under the Act or rules shall be produced on demand before the Inspector or any other authority under the Act or any person authorised in that behalf by the Government.

XIII. *Notices*

Notices showing the rates of wages, hours of work wage periods, date of payment of wages, names and addresses of the Inspectors having jurisdiction, and date of payment of unpaid wages, shall be displayed in English and in Hindi and in the local language understood by the majority of the workers.

XIV. *Returns* :

Every contractor shall send half-yearly return in Form XXIV (in duplicate) to the Licensing Officer and every Principal Employer shall send annual return in Form XXV (in duplicate) to the Registering Officer.

NOTE : Half year means a period of 6 months from 1st January to 1st July of every year.

The half-yearly return is to be sent not later than 30 days after the close of the half year and the annual return not later than 15th February following the end of the year to which it relates.

XV. *Powers*

The Board, Committee, Chief Labour Commissioner (Central) or the Inspector or any other authority under the Act shall have powers to call for any information or statistic in relation to contract labour from any principal employer or contractor at any time by an order in writing.

XVI. *Penalties for offences*

(i) Any person who obstructs an Inspector in discharge of his duties or refuses or willfully neglects to afford the inspector any reasonable facility for making any inspection, examination, inquiry or investigation under the Act, shall be punishable with imprisonment up to a period of three months or with fine which may extend up to five hundred rupees or with both. The same punishment will be applicable to any person who willfully refuses to produce any required document or any register kept under this Act or prevents or attempts to prevent or does any thing which the Inspector has reason to believe is likely to prevent any person appearing before or being examined by him.

(ii) Any person who contravenes any provisions of this Act or rules prohibiting, restricting or regulating the employment of contract labour or contravenes any condition of a licence granted under this Act, shall be punishable with imprisonment up to a period of three months or with fine of one thousand rupees or with both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine of Rupees one hundred for every day during which such contravention continues after conviction for the first contravention.

(iii) Every person who contravenes any of the provisions of the Act or rules for which no other penalty is elsewhere provided, shall be punishable with imprisonment up to three months or with fine of one thousand rupees or with both.

XVII. *Offences by companies*

If the person committing an offence under this Act and Rules is a company, the company as well as every person incharge of an responsible to the Company for the conduct of its business shall be liable for the proceedings under the Act and the Rules.

XVIII. *Powers of Inspectors*

An Inspector under the Act may—

(a) enter, at all reasonable hours, with such assistance as necessary any premises or place where a contract labour is employed, for the purpose of examination of any register of record or notices required to be kept or exhibited by or under this Act or Rules made thereunder and require the production thereof for inspection;

(b) examine any person whom he finds in any such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is a workman employed therein;

(c) require any person giving out work and any workman, to give any information which is in his power to give with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received and with respect to the payments made for the work;

(d) seize or take copies of such documents or notices, etc., which he may consider relevant in respect of an offence under this Act;

(e) exercise such other powers as may be prescribed by the Government

---

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972